

नियम और शर्तें

एक. सामान्य नियम और शर्तें

- मैं/हम बैंक के नियमों, शर्तों और नियमों का पालन करने के लिए सहमत हैं और समय-समय पर मेरे/हमारे खाते से संबंधित परिवर्तनों का पालन करने के लिए सहमत हैं जैसा कि बैंक की वेबसाइट पर सूचित किया गया है और या उपलब्ध कराया गया है www.suryodaybank.com
- मैं/हम सहमत हैं कि खाता खोलना और बनाए रखना भारतीय रिज़र्व बैंक/बैंक द्वारा समय-समय पर शुरू या संशोधित नियमों और विनियमों के अधीन है।
- मैं/हम सहमत हैं कि बैंक कोई भी जमा खाता खोलने से पहले, बैंक के अपने ग्राहक को जानिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथा अपेक्षित सावधानी बरतेगा। मुझे / हमें केवाईसी, एएमएल या अन्य वैधानिक/नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज या प्रमाण, जैसे पहचान, पता, फोटोग्राफ और ऐसी कोई भी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा, खाता खोले जाने के बाद, मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में।
- मैं/हम उपरोक्त दस्तावेजों को आवधिक अंतराल पर फिर से प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूँ, जैसा कि बैंक द्वारा आवश्यक हो सकता है।
- मैं/हम सहमत हूँ कि बैंक, अपने विवेकानुसार बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के विस्तार के लिए सेवा व्यवसाय प्रतिनिधियों (जिसे इसके बाद "बीसी" कहा गया है) को नियुक्त कर सकता है ताकि अधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जा सके और बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच बढ़ाई जा सके। तथापि, बैंक ऐसे बीसी के कृत्यों और लोप के लिए उत्तरदायी होगा।
- मैं/हम सहमत हैं कि, सामान्य परिस्थितियों में, बैंक को मुझे/हमें कम से कम 30 दिन पूर्व सूचना देकर किसी भी समय मेरा/हमारा खाता बंद करने की स्वतंत्रता है, यदि औसत मासिक/त्रैमासिक शेष राशि नहीं रखी जाती है, तो बैंक मेरा/हमारा खाता बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- खाता खोलने के लिए, यदि ग्राहक द्वारा की गई प्रारंभिक निधियन राशि "अपर्याप्त धनराशि" के कारण 2 बार अनादरित हो जाती है, तो बैंक इस तरह के अनादरण के 7 दिनों के भीतर उक्त खाते को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- मैं/हम सहमत हूँ कि बैंक अपने विवेकाधिकार पर, मुझे/हमारे खाते में दी गई किसी भी सेवा/सुविधा में किसी भी समय पूर्ण या आंशिक रूप से संशोधन कर सकता है और/या मुझे/हमें अन्य सेवाओं/सुविधाओं पर स्विच करने का विकल्प प्रदान कर सकता है। यह नोटिस पंजीकृत पते पर या तो (सहित, लेकिन सीमित नहीं) पत्र, बैंक के साथ पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे गए ई-मेल, बैंक के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस या व्हाट्सएप, समाचार पत्र विज्ञापन, शाखा नोटिस बोर्ड, ई-मेल या भौतिक खाता विवरण आदि के माध्यम से संदेश के रूप में होगा।
- मैं/हम सहमत हैं कि मेरे/हमारे खाते की स्थिति में कोई भी परिवर्तन या पते में परिवर्तन की सूचना तुरंत बैंक को दी जाएगी, ऐसा न करने पर मैं/हम किसी भी संचार/डिलिवरेबल्स की प्राप्ति न होने या मेरे/हमारे पुराने पते पर डिलीवर किए जाने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- मैं/हम सहमत हैं कि मेरे/हमारे खाते से संबंधित सभी अनुदेश बैंक को सूचित करने के स्वीकार्य माध्यम के अनुसार बैंक को जारी किए जाएंगे।
- मैं/हम मेरी/हमारी चेक बुक/डेबिट-सह-एटीएम कार्ड को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखने के लिए सहमत हैं। उसी के खोने/चोरी होने की स्थिति में मैं/हम तुरंत बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे।
- मैं/हम सहमत हैं कि मैं/हम बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम शेष राशि बनाए रखेंगे और मुझ पर लागू उत्पाद मापदंडों के अनुसार।
- मैं/हम समझते हैं कि बचत बैंक खातों में ब्याज की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार लागू दर पर दैनिक उत्पाद (दैनिक समापन शेष) के आधार पर की जाएगी। ब्याज की गणना निकटतम रुपये में की जाएगी और वर्ष में 365 दिनों (और वर्ष में 366 दिनों के आधार पर लीप वर्ष के मामले में) के आधार पर गणना की जाएगी। वर्तमान में ब्याज का भुगतान हर कैलेंडर माह में किया जाएगा।

- मैं/हम सहमत हैं कि मैं/हम सभी शुल्कों, शुल्कों, ब्याज, लागतों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जो बैंक मेरे/हमारे खाते के संबंध में लगा सकता है, या प्रदान किए गए किसी लेनदेन या सेवाओं के संबंध में और इसे बैंक द्वारा मेरे/हमारे खाते में डेबिट करके वसूल किया जा सकता है। मैं/हम सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि पर्याप्त धन की अनुपलब्धता के मामले में प्रभार पूरी राशि की वसूली तक एक अवधि तक खाते में डेबिट किए जाएंगे।
- मैं/हम समझते हैं कि औसत त्रैमासिक शेष = तिमाही के लिए दैनिक समापन शेष का औसत = दैनिक समापन शेष का योग/वास्तविक संख्या तिमाही में कैलेंडर दिनों की संख्या, अर्थात् अप्रैल-जून तिमाही के लिए,
 वास्तविक सं. दिनों की संख्या = 91, AQB = क्लोजिंग बैलेंस (Day1+Day2+Day3+.... +Day 91)/91
- मैं/हम समझते हैं कि औसत मासिक शेष = माह में दैनिक समापन शेष का औसत = दैनिक समापन शेष का योग/वास्तविक संख्या महीने में कैलेंडर दिनों की संख्या, यानी अप्रैल के महीने के लिए,
 वास्तविक सं. दिनों की संख्या = 30, AMB = क्लोजिंग बैलेंस (Day1+Day2+Day3+.... +Day 30)/30
- बैंक के पास ग्राहक को चेक बुक, तदर्थ विवरण, फोन बैंकिंग पिन, नेट बैंकिंग पिन, डेबिट/एटीएम कार्ड और पिन देने से मना करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि खाते में औसत मासिक/त्रैमासिक शेष राशि नहीं रखी जाती है।
- मैं/हम सहमत हैं कि मैं/हम बैंक के किसी भी अनधिकृत कार्मिक को खाता खोलते समय या व्यवसाय के सामान्य क्रम में कोई लेनदेन करते समय नकद राशि का भुगतान नहीं करेंगे। मैं/हम केवल शाखा परिसर में बैंक के टेलर काउंटरों, ऑटोमेटेड कैश रिसाइक्लर (एसीआर), बैंक के अधिकृत एजेंटों पर नकद जमा करने के लिए सहमत हैं।
- मैं/हम सहमत हैं कि बैंक मुझे/हमें पत्र/पत्र आदि कूरियर/मैसेंजर/मेल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से अपने विवेक से भेजेगा और बैंक इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- मैं/हम सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि मैं/हम बैंक द्वारा प्रदान की गई ग्रीन पिन सुविधा का उपयोग डेबिट-सह-एटीएम कार्ड के लिए पिन बनाने और जारी करने के लिए कर सकते हैं।
- मैं/हम सहमत हैं कि बैंक तब तक मेरा/हमारा खाता खोलने पर चेक बुक जारी नहीं करेगा, जब तक कि मैं/हमारे द्वारा लिखित रूप में अनुरोध न किया जाए। इसके अलावा चेक बुक जारी करना केवल मेरे / हमारे द्वारा लिखित मांग के खिलाफ या समय-समय पर उपलब्ध विभिन्न चैनलों पर अनुरोधों के माध्यम से होगा।
- मैं/हम सहमत हैं कि एक नाबालिग की ओर से उसके प्राकृतिक अभिभावक द्वारा या सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक द्वारा एक खाता खोला जा सकता है। अभिभावक उपरोक्त खाते में किसी भी विवरण के सभी लेनदेन में नाबालिग का प्रतिनिधित्व करेगा जब तक कि उक्त नाबालिग वयस्क नहीं हो जाता। अभिभावक घोषणा करता है कि खाते में धन का उपयोग केवल नाबालिग के लाभ के लिए किया जा रहा है। नाबालिग के वयस्क होने पर, खाते को संचालित करने का अभिभावक का अधिकार समाप्त हो जाएगा। अभिभावक नाबालिग के खाते में उसके द्वारा किए गए किसी भी आहरण/लेनदेन के लिए उपरोक्त नाबालिग के दावे के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हैं।
- मैं/हम सहमत हैं कि तकनीकी दोष/त्रुटि या दूरसंचार नेटवर्क में किसी विफलता या बैंक के नियंत्रण से परे किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर सिस्टम में किसी भी त्रुटि के कारण किसी भी सेवा/सुविधाओं में व्यवधान या अनुपलब्धता के कारण बैंक किसी भी क्षति, हानि (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- मैं/हम सहमत हैं कि बैंक सख्त विश्वास के साथ, अन्य बैंकों और या संस्थानों को ऐसी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा कर सकता है जो निम्नलिखित कारणों से यथोचित रूप से आवश्यक हो सकती है:
 - ❑ किसी भी दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन नेटवर्क में भागीदारी के लिए ❑ एक कानूनी / वैधानिक / नियामक निर्देश के अनुपालन में
 - ❑ क्रेडिट सूचना ब्यूरो को धोखाधड़ी की रोकथाम के उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा क्रेडिट रेटिंग के लिए
- मैं/हम बैंक को सरकारी एजेंसियों सहित किसी भी बाहरी स्रोत/एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर अपने रिकॉर्ड में मेरे/हमारे आधार नंबर को अपडेट और लिंक करने के लिए सहमति देते हैं। मैं/हम बैंक को मेरी/हमारी आधार संख्या और साथ ही अन्य संबंधित जानकारी, जो लिंक खाता संख्या तक सीमित नहीं है, बाहरी संस्था (संस्थाओं) और/या नियामक निकाय/निकायों और/या सांविधिक

निकाय/निकायों और/या किसी अन्य एजेंट और/या विक्रेता और/या ठेकेदारों को, जिनके साथ बैंक प्रवेश करता है, प्रकट करने के लिए भी सहमति देता है। या सेवाओं/उत्पादों को प्रदान करने के संबंध में किसी भी व्यवस्था में प्रवेश किया है।

- यदि मुझे/हमें बैंक के किसी भी उत्पाद/सेवा की विशेषताओं से संबंधित कोई शिकायत है, जिसका मैं/हम लाभ उठाते हैं, तो मैं/हम जानते हैं कि मैं/हम समाधान के लिए बैंक की वेबसाइट में उल्लिखित बैंक के शिकायत निवारण कक्ष से संपर्क कर सकते हैं। यदि मुझे/हमें शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों के भीतर संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के अंतर्गत, मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं, जहां मैं/हमारा खाता है, जिसका विवरण www.bankingombudsman.rbi.org.in
- यदि बचत खाते और चालू खाते के लिए दो वर्ष की निरंतर अवधि के लिए खाते में मेरे/हमारे द्वारा कोई लेनदेन शुरू नहीं किया गया है (क्रेडिट ब्याज, डेबिट ब्याज जैसे सिस्टम जनित लेनदेन को छोड़कर), तो मैं/हम सहमत हैं कि बैंक द्वारा खाते को 'निष्क्रिय' खाते के रूप में माना जाएगा। मैं/हम सहमत हैं कि खाते की स्थिति केवल मेरे/हमारे (सभी संयुक्त धारकों) द्वारा इस संबंध में लिखित अनुदेश पर और मैं/हमारे द्वारा गृह शाखा में लेनदेन शुरू करके 'सक्रिय' में बदल जाएगी। मैं/हम समझते हैं कि जब तक खाते की स्थिति 'निष्क्रिय' है, तब तक बैंक द्वारा एटीएम, नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग जैसे प्रत्यक्ष बैंकिंग चैनलों के माध्यम से लेनदेन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
- मैं/हम सहमत हैं कि, यदि मैंने/हमने मेरे/हमारे खाते में डेबिट करने के लिए, एक से अधिक डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर जारी करने के लिए सिंगल चेक/अनुदेश जारी किया है, तो यह मेरे/हमारे खाते में एकाधिक डेबिट प्रविष्टियों के रूप में दिखाई देगा।
- बैंक अपने विवेकाधिकार से किसी व्यक्ति/तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता/एजेंट/एजेंसी की सेवाओं को ग्राहक के जोखिम और लागत पर संग्रहण, बकाया राशि की वसूली, प्रतिभूति प्रवर्तन, ग्राहक/आस्तियों की किसी सूचना को प्राप्त करने या सत्यापित करने सहित प्रस्तावित किसी उत्पाद/सेवा के लिए/उसके संबंध में किए जाने वाले किसी कार्य के लिए संलग्न करने/लाभ उठाने का हकदार होगा। और कोई आवश्यक या आनुषंगिक विधिपूर्ण कार्य/कार्य/मामले और उससे जुड़ी चीजें, जिन्हें बैंक उचित समझे।
- बैंक को ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आवेदन, फोटो, सूचना और दस्तावेज वापस नहीं करने का अधिकार होगा। बैंक, ग्राहक को नोटिस दिए बिना या उसकी सहमति के बिना, ग्राहक से संबंधित किसी भी जानकारी को प्रकट करने का पूर्ण अधिकार और शक्ति और प्राधिकार रखेगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, दस्तावेजों के संबंध में विवरण, उत्पादों / सेवाओं की पेशकश, चूक, सुरक्षा, ग्राहक के दायित्व, भारतीय क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (सीआईबीआईएल) और/या आरबीआई द्वारा अधिकृत किसी अन्य सरकारी/नियामक/सांविधिक या ऐसी एजेंसियों/संस्थाओं को प्रकटीकरण करना शामिल है, क्रेडिट ब्यूरो, आरबीआई, बैंक की अन्य शाखाओं/सहायक कंपनियों/सहयोगियों/रेटिंग एजेंसियों, सेवा प्रदाताओं, अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों, किसी भी तीसरे पक्ष, किसी भी समनुदेशिनी/अंतरणकर्ताओं के संभावित समनुदेशिनी, जिन्हें जानकारी की आवश्यकता हो सकती है और जानकारी को संसाधित कर सकते हैं, ऐसे तरीके से और ऐसे माध्यम से प्रकाशित कर सकते हैं जो प्रकाशक / बैंक / आरबीआई द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है, जिसमें समय-समय पर विलफुल डिफॉल्टर की सूची के हिस्से के रूप में नाम प्रकाशित करना शामिल है, साथ ही केवाईसी सूचना सत्यापन, क्रेडिट जोखिम विश्लेषण, या अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए भी उपयोग करें। इस संबंध में, ग्राहक अनुबंध की गोपनीयता और गोपनीयता के विशेषाधिकार का त्याग करता है। बैंक को ग्राहक को नोटिस दिए बिना या उसकी सहमति के बिना ट्रेड रिकॉर्ड, क्रेडिट जोखिम का आकलन करने या ग्राहक से बकाया राशि की वसूली के उद्देश्य से कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य बैंकों/वित्त कंपनियों/क्रेडिट ब्यूरो, ग्राहक के नियोक्ता/परिवार के सदस्यों, ग्राहक से संबंधित किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने, पूछताछ करने, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- यदि बैंक द्वारा कोई व्यक्तिगत जानकारी या संवेदनशील जानकारी एकत्र की जाती है, तो बैंक की गोपनीयता नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है
www.suryodaybank.com पर
- बैंक केवल गुणवत्ता नियंत्रण और रिकॉर्ड उद्देश्यों के लिए ग्राहकों के साथ टेलीफोनिक बातचीत रिकॉर्ड करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- बैंक ग्राहकों को सूचित करेगा कि सभी बैंक जमा बीमा और भारतीय ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा दी जाने वाली बीमा योजना के तहत कवर किए गए हैं, जो अधिकतम 5 लाख रुपये तक है। बैंक ग्राहक को सूचित करेगा कि 5 लाख रुपये की सीमा में बैंक की सभी शाखाओं में समान क्षमता और अधिकार में ग्राहक द्वारा धारित ऐसी जमा पर मूलधन और उपार्जित ब्याज दोनों शामिल हैं।

तथापि, बैंकों, केन्द्र एवं राज्य सरकारों (अर्ध सरकारी निकायों, स्थानीय स्वायत्त निकायों, सरकारी निगमों सहित) और विदेशी सरकारों की जमाराशियां इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

- ग्राहक को बैंक में अपडेट किया गया उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक फिक्स्ड डिपॉजिट एडवाइस भेजा जाएगा। हालांकि, विशिष्ट अनुरोध पर ग्राहक को फिक्स्ड डिपॉजिट एडवाइस उपलब्ध कराया जा सकता है।
- सभी चैनलों के माध्यम से खुदरा ग्राहकों द्वारा बुक की गई सावधि जमा को इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से देखने और लेनदेन के अधिकार होंगे, जो संचालन के उपयुक्त तरीके द्वारा समर्थित होंगे।
- शून्य शेष वाले खातों के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय डेबिट कार्ड लेनदेन की संख्या केवल 5 तक सीमित होगी। 5 से अधिक के किसी भी लेनदेन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ग्राहक मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग चैनल के माध्यम से एक दिन में अधिकतम 2 लाभार्थी जोड़ सकते हैं। शीतलन के दौरान पहले 24 घंटों की अवधि में, ग्राहक नए जोड़े गए लाभार्थी को अधिकतम ₹ 50,000 की राशि अंतरित कर सकता है।
- बैंक नीचे दी गई शर्तों पर यूपीआई लेनदेन के लिए ग्राहकों को एसएमएस नहीं भेजेगा जहां ग्राहक का ईमेल बैंक रिकॉर्ड में मौजूद है।
 १. ₹100 या उससे कम का UPI डेबिट लेनदेन
 २. ₹500 या उससे कम का UPI क्रेडिट लेनदेन
- बैंक ने खाता खोलते समय, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के लिए ग्राहकों की देयता से संबंधित अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति का विवरण प्रदान किया है, जिसे आरबीआई के लागू निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। मैं स्वीकार करता/करती हूँ कि मैंने अपने अधिकार, जिम्मेदारियां और देयताएं पढ़ और समझ ली हैं। मैं समझता/समझती हूँ कि मेरी ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही और/या अनधिकृत लेनदेन की सूचना देने में देरी के परिणामस्वरूप, बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और आरबीआई के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के अनुसार मेरी देयता निर्धारित की जा सकती है।

दो. बचत खाते

- मैं समझता हूँ कि, यदि कोई खाता महीने के मध्य में एक उत्पाद संस्करण से दूसरे में स्विच किया जाता है, तो सभी शुल्क नए उत्पाद संस्करण के लिए लागू होंगे और उसी महीने के अंत से प्रभावी हो जाएंगे।
- मैं समझता हूँ कि विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बुनियादी बचत बैंक जमा खाता धारक सूर्योदय लघु वित्त बैंक में कोई अन्य बचत खाता खोलने के पात्र नहीं हैं।
- इस प्रकार, मैं सहमत हूँ कि यदि सूर्योदय एसएफबी के साथ मेरा कोई अन्य मौजूदा बचत खाता है, तो मुझे बुनियादी बचत बैंक जमा खाता खोलने के 30 दिनों के भीतर ऐसे अन्य बचत खाते (खातों) को बंद करना होगा।
- मैं स्वीकार करता हूँ कि बैंक विनियामक दिशानिर्देशों के अंतर्गत लागू अन्य बचत खातों (खातों) (यदि कोई हो) को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि बुनियादी बचत बैंक जमा खाता खोलने के 30 दिनों के भीतर मेरे द्वारा ऐसे खाते बंद नहीं किए जाते हैं।
- रूपे डेबिट कार्ड पर दिए गए व व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर के लाभ किसी भी पीओएस/ईकॉम पर इंटर और इंटर-बैंक दोनों अर्थात् दुर्घटना की तारीख से 30 दिन पहले या हमारे बाहर कम से कम एक सफल वित्तीय लेन-देन के अधीन होंगे, जिसमें रूपे कार्डधारक की दुर्घटना की तारीख भी शामिल है।
- कोई भी निवासी व्यक्ति और जिसके पास पूर्ण केवाईसी नहीं है, बीएसबीडीए लघु खाता खोलने के लिए पात्र है। अधिक विशिष्ट होने के लिए, एक आवासीय व्यक्ति जिसके पास नहीं है:
 - ☐ बैंक के दस्तावेजों की स्वीकार्य सूची के अनुसार फोटो आईडी प्रमाण।
 - ☐ बैंक के दस्तावेजों की स्वीकार्य सूची के अनुसार पते का प्रमाण।
- बीएसबीडीए लघु खाता धारक के रूप में मैं निम्नलिखित लेनदेन सीमाओं के अधीन रहूंगा:
 - ☐ बीएसडीबीए स्मॉल अकाउंट में कुल बैलेंस किसी भी समय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए या बीएसडीबीए
 - ☐ स्मॉल अकाउंट में कुल क्रेडिट एक वित्तीय वर्ष में 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए या
 - ☐ बीएसडीबीए स्मॉल अकाउंट में कुल निकासी और ट्रांसफर एक कैलेंडर माह में रु. 10,000 से अधिक नहीं होना चाहिए
- यदि खाते में शेष राशि 50,000 रुपये से अधिक है, तो खाते में आगे कोई क्रेडिट लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि शेष राशि

50,000 रुपये से कम न हो जाए।

- यदि किसी वित्तीय वर्ष में क्रेडिट का योग रु. 1,00,000 से अधिक है, तो उस वित्तीय वर्ष के अंत तक छोटे खाते में आगे कोई क्रेडिट लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यदि निकासी और हस्तांतरण 10,000 रुपये से अधिक है, तो उस कैलेंडर माह के अंत तक छोटे खाते में आगे डेबिट लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- विदेशी विप्रेषण को एक छोटे खाते में जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- बीएसबीडीए लघु खाताधारक के रूप में मुझे सूर्योदय एसएफबी को दस्तावेज जमा करने होंगे:

खाता खोलने के 12 महीनों के भीतर वैध केवाईसी (बीएसबीडीए लघु खातों के लिए निर्दिष्ट केवाईसी की स्वीकार्य सूची के अनुसार) के लिए आवेदन करने का साक्ष्य

निम्नलिखित दस्तावेजों को खाता खोलने के 12 महीनों के भीतर वैध केवाईसी के लिए आवेदन करने के प्रमाण के रूप में माना जाएगा:

बीएसबीडीए लघु खाता – वैध केवाईसी के लिए आवेदन करने के प्रमाण के लिए स्वीकार किए गए दस्तावेजों की स्वीकार्य सूची	
पहचान के प्रमाण के लिए स्थापित किए जाने वाले दस्तावेज	
केवाईसी दस्तावेज	सबूत के रूप में स्वीकार किए गए दस्तावेज
पासपोर्ट (समाप्त नहीं हुआ)	विदेश मंत्रालय द्वारा आवेदन पत्र की प्रतिलिपि- भारत सरकार
पैन कार्ड	फॉर्म 49A की कॉपी
चुनाव/मतदाता कार्ड	फॉर्म 6 की कॉपी
ड्राइविंग लाइसेंस – निर्देशों के अनुसार स्थायी)	आरटीओ द्वारा आवेदन पत्र की प्रति
भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड/पत्र	यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) द्वारा जारी आधार पावती पत्र
नरेगा कार्ड	एनआरईजीए द्वारा आवेदन पत्र की प्रति

पते के प्रमाण के लिए स्थापित किए जाने वाले दस्तावेज	
केवाईसी दस्तावेज	सबूत के रूप में स्वीकार किए गए दस्तावेज
पासपोर्ट (समाप्त नहीं हुआ)	विदेश मंत्रालय द्वारा आवेदन पत्र की प्रति – सरकार।
ड्राइविंग लाइसेंस – स्थायी (निर्देशों के अनुसार)	आरटीओ द्वारा आवेदन पत्र की प्रति
राशन कार्ड	आवेदन पत्र/पावती की प्रति
भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड/पत्र	यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) द्वारा जारी आधार पावती पत्र
नरेगा कार्ड	एनआरईजीए द्वारा आवेदन पत्र की प्रति
भारत की राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी वरिष्ठ नागरिक कार्ड (यदि उसका पता है)	राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी आवेदन पत्र/पावती पर्ची की प्रति
नगर निगम द्वारा जारी संचार पते के साथ अधिवास प्रमाण पत्र	नगर निगम द्वारा जारी आवेदन पत्र/पावती पर्ची की प्रति

- खाता खोलने के 24 महीनों के भीतर बैंक की केवाईसी की स्वीकार्य सूची के अनुसार वास्तविक केवाईसी (आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फोटो)।
- मैं समझता हूँ कि बीएसबीडीए – लघु खाता के धारक सूर्योदय एसएफबी में कोई अन्य सीएसए/एफडी/आरडी खोलने के लिए पात्र नहीं हैं, जब तक कि मैं केवाईसी का अनुपालन नहीं करता हूँ।
- मैं स्वीकार करता हूँ कि बैंक अन्य चालू, बचत, मीयादी जमा खाता (यदि कोई हो) को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि ऐसा खाता बीएसबीडीए लघु खाता खोलने के 7 दिनों के भीतर मेरे द्वारा बंद नहीं किया जाता है।

तीन. अनिवासी बचत खाता

अनिवासी बाहरी - एनआरई बचत खातों के लिए नियम और शर्तें

एक. परिभाषाएँ

इन शर्तों में, निम्नलिखित शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ यहां बताया गया है जब तक कि अन्यथा इंगित न किया गया हो:

एक.एक "खाता" का अर्थ है बैंक में ग्राहक का कोई भी खाता, जिसमें बिना किसी सीमा के, कोई अनिवासी (बाह्य) ("एनआरई") बचत खाता या ऐसे अन्य प्रकार शामिल हैं जिन्हें सूर्योदय बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है ("एनआरआई वेरिफेंट"), जो बैंक द्वारा समय-समय पर ग्राहक को उपलब्ध कराया जा सकता है।

एक.दो "खाता खोलने का फॉर्म" या "आवेदन पत्र" या "एओएफ" का तात्पर्य ग्राहक द्वारा समय-समय पर सूर्योदय बैंक में खाते खोलने, संचालन और रखरखाव के लिए ग्राहक से संबंधित आवश्यक जानकारी के साथ प्रस्तुत / प्रदान किए जाने वाले खाता खोलने से है।

एक.तीन "ग्राहक" से तात्पर्य ऐसे किसी भी व्यक्ति/आवेदक से है जो अनिवासी भारतीय ("एनआरआई") और/या भारतीय मूल का व्यक्ति ("पीआईओ")/भारत का विदेशी नागरिक ("ओसीआई") है जिसने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया है और सूर्योदय बैंक में खाता धारण कर रहा है और, जहां ऐसे एक से अधिक व्यक्ति हैं, इसका अर्थ संदर्भ के अनुसार किसी भी व्यक्ति से लगाया जाएगा, सभी या उनमें से प्रत्येक।

- एक.चार "तिमाही" का अर्थ किसी भी वित्तीय वर्ष में एक वित्तीय तिमाही अर्थात अप्रैल - जून, जुलाई - सितंबर, अक्टूबर - दिसंबर, जनवरी - मार्च होगा।
- एक.पाँच "माह" का अर्थ होगा एक कैलेंडर महीना यानी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, किसी भी कैलेंडर वर्ष में नवंबर, दिसंबर।
- एक.छः "सेवाओं" का अर्थ होगा सूर्योदय बैंक द्वारा एक खाते के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाएं और विशेष रूप से इन शर्तों में वर्णित हैं।
- एक.सात "वेबसाइट" www.suryodaybank.com में सूर्योदय बैंक द्वारा स्वामित्व, स्थापित और रखरखाव की वेबसाइट को संदर्भित करता है।

दो. शर्तों की प्रयोज्यता

ये शर्तें ग्राहक और सूर्योदय बैंक के बीच अनुबंध बनाती हैं। ग्राहक कोई खाता या संबंध खोलने या बैंक से किसी भी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने और खाते के संचालन और संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निर्धारित / खाता खोलने के फॉर्म या एओएफ में सूर्योदय बैंक को आवेदन करेगा। खाता खोलने के लिए आवेदन करके, ग्राहक स्वीकार करता है कि उसने इन शर्तों का पालन करने और बाध्य होने के लिए पढ़, समझ, स्वीकार और सहमति व्यक्त की है।

ग्राहक के साथ प्रत्येक संबंध को एक अद्वितीय ग्राहक पहचान संख्या ("कस्ट आईडी") द्वारा दर्शाया जाएगा।

तीन. खाता खोलना

खाता खोलने की औपचारिकताएं सूर्योदय बैंक की नीतियों द्वारा शासित होती हैं और समय-समय पर संशोधित की जा सकती हैं। इसके लिए ग्राहक को स्थायी खाता संख्या सहित निर्धारित दस्तावेजों के निर्धारित सेट के साथ विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है। ("पैन") या फॉर्म 60/61 या इसी तरह के सत्यापन दस्तावेज समय-समय पर, बैंक की संतुष्टि के लिए।

व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए खाता नहीं खोला जा सकता है। ऐसी स्थिति में जहां खाता खोलने और/या बैंक के उत्पादों और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए या उस पर लेनदेन को संसाधित करने के लिए व्यक्तियों/आवेदकों या ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अधूरे या असंगत हैं, सूर्योदय बैंक सूचित करेगा

उचित समय के भीतर ऐसी विसंगतियां और/या कुछ अतिरिक्त सत्यापन/दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताएँ। यदि हाइलाइट की गई विसंगतियां अनसुलझी रहती हैं या भीतर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं होने पर

निर्धारित समय अवधि, यदि कोई हो, सूर्योदय बैंक को आवेदक के खाता खोलने के फॉर्म / एओएफ को अस्वीकार करने का अधिकार होगा। यदि बैंक में खाता रखने वाला ग्राहक नाविक है, तो वह अनुबंध का नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में या नए अनुबंध पर जाने का विकल्प चुनने या नए अनुबंध पर आगे बढ़ने में असमर्थ होने या ऐसी किसी भी स्थिति में जहां अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के रूप में स्थिति बदल दी गई है, बैंक को सूचित करने के लिए सहमत होता है। स्थिति में परिवर्तन की ऐसी स्थिति में, बैंक के साथ ग्राहक द्वारा खोले गए अनिवासी खातों को निवासी के रूप में फिर से नामित किया जाएगा।

चार. ऑपरेटिंग खाते

चार.एक किसी व्यक्ति के नाम पर बनाए गए सभी खातों को ऐसे व्यक्ति के व्यक्ति या पावर ऑफ अटॉर्नी/मैडेट धारक (ओं) द्वारा और संयुक्त खातों के मामले में, खाताधारकों द्वारा संयुक्त रूप से, या संयुक्त धारक में से किसी एक द्वारा या एओएफ या आवेदन पत्र में संयुक्त खाता धारक द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, या उनके पावर ऑफ अटॉर्नी/मैडेट धारक (धारकों) द्वारा जैसा कि सूर्योदय बैंक द्वारा अपने विवेक से स्वीकार किया गया है।

चार.दो यदि कोई एनआरआई खाता निवासी पावर ऑफ अटॉर्नी/मैडेट धारक के माध्यम से संचालित किया जाता है, तो ऐसे निवासी पावर ऑफ अटॉर्नी/मैडेट धारक के परिचालन निम्नलिखित तक सीमित होंगे:

अ. भारतीय रुपये में सभी स्थानीय भुगतान ("आईएनआर") जिसमें पात्र निवेशों के लिए भुगतान शामिल है, भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के प्रासंगिक नियमों के अनुपालन के अधीन; और

आ. लागू करों के निवल निवल आधार पर भारत से बाहर खाताधारक को चालू आय का विप्रेषण।

इ. सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से स्वयं खाताधारक को विप्रेषण। विप्रेषण करते समय, आरबीआई ने फेमा सीमाएं और प्रत्यावर्तनीयता की शर्तें निर्धारित की हैं।

निवासी पावर ऑफ अटॉर्नी/मैडेट धारक को इसकी अनुमति नहीं है:

- अ. खाते में धारित भारत निधियों को ग्राहक के अलावा किसी अन्य अपतटीय खाते में प्रत्यावर्तित करना।
- आ. ग्राहक की ओर से किसी निवासी को उपहार के माध्यम से भुगतान करें।

सभी ग्राहक और/या उनके पावर ऑफ अटॉर्नी/मैडेट धारक उपरोक्त मानदंडों (समय-समय पर लागू किए गए) के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे।

चार.तीन संयुक्त खातों के मामले में, खाता खोलने के फॉर्म/एओएफ के संबंध में परिचालन अनुदेशों में कोई परिवर्तन या कोई अन्य जानकारी सभी खाता धारकों द्वारा प्रदान की जानी है, चाहे ऐसे खाते के परिचालन का तरीका कुछ भी हो।

चार.चार सूर्योदय बैंक समय-समय पर कूरियर या डाक या संचार के किसी अन्य स्वीकार्य माध्यम से ग्राहक द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत डाक पते या ईमेल आईडी आदि पर भेज सकता है, खाते के विवरण, चेक बुक, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी और / या पासवर्ड और ऐसे अन्य आइटम जो ऐसे खाते के संचालन के लिए संबंधित खाते के तहत ग्राहक आईडी से संबंधित या संबंधित हैं। यह ग्राहक के लिए अनिवार्य है कि वह पंजीकृत डाक या संचार पते में किसी भी परिवर्तन, यदि कोई हो, को तुरंत या चौदह (14) दिनों के भीतर सूर्योदय बैंक को सूचित करे। सूर्योदय बैंक ग्राहक के पंजीकृत मेलिंग या संचार पते या ईमेल आईडी में किसी भी परिवर्तन की गैर-सूचना के कारण उत्पन्न होने वाली उपरोक्त वस्तुओं के किसी भी नुकसान, क्षति या गलत वितरण के परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

चार.पाँच ग्राहक से अपेक्षा की जाती है कि वह प्राप्ति पर खाते के विवरण में प्रविष्टियों की जांच करे और सूर्योदय बैंक का ध्यान किसी भी त्रुटि या चूक की ओर आकर्षित करे जो खोजी जा सकती है। सूर्योदय बैंक विवरण में प्रविष्टियों की जांच करने और विवरण जारी करने की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर ऐसी किसी भी त्रुटि और/या चूक को इंगित करने में ग्राहक की विफलता से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

चार.छः ग्राहक बैंक द्वारा प्रस्तावित खाता प्रकार के अनुसार न्यूनतम प्रारंभिक भुगतान के साथ खाता खोलेगा। ग्राहक एक महीने/तिमाही के दौरान खाता प्रकार (बचत/चालू) के अनुसार औसत मासिक शेष ("एएमबी")/औसत तिमाही शेष ("एक्यूबी") बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। निर्धारित एएमबी/एक्यूबी को बनाए रखने में विफलता पर गैर-रखरखाव शुल्क लग सकता है, और ऐसे शुल्क ग्राहक के खाते से सूर्योदय बैंक द्वारा काटे जा सकते हैं। यदि ग्राहक के खाते में शेष राशि गैर-रखरखाव शुल्क को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो बैंक खाते में बाद में जमा के माध्यम से इन शुल्कों को वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

चार.सात ग्राहकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पैन नंबर प्रदान करें। या फॉर्म 60/61, या कोई ऐसा अन्य दस्तावेज जो आयकर नियम, 1962 के लागू प्रावधानों के अनुसार खाता खोलने, नकद जमा की स्वीकृति आदि के लिए समय-समय पर कर अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और उसका अनुपालन किया जा सकता है।

पाँच. चेक बुक

पाँच.एक चेक बुक को ग्राहक द्वारा दिए गए पंजीकृत डाक या संचार पते पर सीधे कूरियर किया जाएगा बशर्ते खाता खोलने की सभी औपचारिकताएँ विधिवत पूरी की गई हों। बाद में चेक बुक की मांग चेक बुक में उपलब्ध मांगपत्र (पत्रों) के माध्यम से संचार के स्वीकार्य तरीकों के माध्यम से की जा सकती है, जो समय-समय पर सूर्योदय बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है, खातों के संतोषजनक आचरण के अधीन।

पाँच.दो सूर्योदय बैंक खोए हुए, चोरी हो चुके या भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होने वाले चेकों के खिलाफ भुगतान अनुरोधों को रोकने के लिए आहर्ता से अनुदेशों को रिकॉर्ड करेगा और स्वीकार करेगा, केवल तभी जब बैंक द्वारा आहर्ता से ऐसे निर्देश प्राप्त किए जाते हैं, बैंक में ऐसे चेक प्रस्तुत करने से पहले या ई-चेक के मामले में, केवल तभी जब भुगतान रोकने के अनुरोध उसी के खिलाफ पैसे के भुगतान से पहले लॉग किए जाते हैं, और सूर्योदय बैंक किसी भी तरह से किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, या किए गए भुगतान, यदि चेक सूर्योदय बैंक को भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं

चेक/चेकों के अदाकर्ता से या ई-चेक के मामले में निर्देश, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए, यदि सूर्योदय बैंक द्वारा ऐसे चेकों के खिलाफ भुगतान शुरू किए जाने के बाद भुगतान रोकने का अनुरोध लॉग किया गया हो। सूर्योदय बैंक ऐसे प्रतिमंडिंग अनुदेशों के लिए सेवा प्रभार लगा सकता है।

छः. डेबिट कार्ड, पासवर्ड और चेक बुक का सुरक्षित रखना

ग्राहक खाते के पासबुक स्टेटमेंट, बैलेंस कन्फर्मेशन सर्तिफिकेट या डिपॉजिट कन्फर्मेशन सलाह या डील कन्फर्मेशन सलाह, चेक बुक,

डेबिट कार्ड और डेबिट कार्ड पिन, उपयोगकर्ता/लॉगिन आईडी और इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित पासवर्ड और खाते से संबंधित या संबंधित अन्य मर्दों की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। ग्राहकों को चेक बुक की सुरक्षा में सावधानी बरतनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके हस्ताक्षरित चेक, खाली चेक या चेक बुक के नुकसान की रिपोर्ट करनी चाहिए। चेक कभी भी खाली में पूर्व-हस्ताक्षरित नहीं होने चाहिए; यह सुरक्षित है अगर चेक हमेशा पार किए जाते हैं और "बियरर" को नहीं बनाए जाते हैं। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे चेक बुक/खातों के विवरण को सुरक्षा के स्थान पर रखें ताकि हानि, दुरुपयोग या लापरवाही में योगदान के जोखिम को कम किया जा सके।

सात. निष्क्रिय खाता

सात.एक सूर्योदय बैंक एक खाते को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकता है:

निष्क्रिय, यदि खाते में 12 महीने की अवधि के लिए कोई ग्राहक-प्रेरित लेनदेन नहीं है; निष्क्रिय, यदि खाते में 24 महीने की अवधि के लिए कोई ग्राहक-प्रेरित लेनदेन नहीं है।

"ग्राहक प्रेरित लेनदेन" का अर्थ होगा सभी लेनदेन में ग्राहक द्वारा अपने खाते में किए गए किसी भी क्रेडिट या डेबिट लेनदेन शामिल हैं।

सात.दो सूर्योदय बैंक, अपने विवेकाधिकार में, निष्क्रिय या निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत ग्राहक के खाते में सेवाओं और/या लेनदेन से इनकार कर सकता है।

आठ. शुल्क/शुल्क

खाते(खातों) और सेवाओं के संचालन और रखरखाव के संबंध में प्रभार अनुसूची (एसओसी) अनुभाग के तहत निर्धारित दरों पर लगाए जाएंगे और समय-समय पर वेबसाइट पर अपडेट किए जाएंगे। प्रभार ऐसे अंतराल पर खाते में डेबिट किए जाएंगे जो सूर्योदय बैंक द्वारा उचित समझा जा सकता है। इस प्रकार एकत्र किए गए शुल्क रुपये के अंशों की उपेक्षा करते हुए निकटतम INR समकक्ष तक पूर्णांकित किए जाते हैं।

सूर्योदय बैंक को सेवा प्रभार, एएमबी के रखरखाव न करने के लिए शुल्क या खाते को डेबिट करके संबंधित बैंक/काउंटर पार्टी द्वारा रिपोर्ट किए गए किसी भी गलत क्रेडिट या लेट रिटर्न को समायोजित करने का भी अधिकार होगा, बिना किसी अतिरिक्त नोटिस प्रदान करने या ग्राहक से अतिरिक्त सहमति/प्राधिकरण प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना। यदि इस तरह के सेट-ऑफ के कारण खाते में शेष राशि अधिक हो जाती है, तो सूर्योदय बैंक ऐसी दरों पर ब्याज लेने का हकदार होगा, जिसे सूर्योदय बैंक अपने विवेकाधिकार में उचित समझे, उस अवधि के लिए जिसके लिए खाते के संचालन और रखरखाव के दौरान किसी भी समय खाता ओवरड्रॉ रहता है। खाता में किसी भी कमी के मामले में या खाता बंद करने की स्थिति में, ग्राहक बिना किसी आपत्ति या विरोध के सूर्योदय बैंक को शुल्क/ब्याज के कारण बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। सूर्योदय बैंक, अपने विवेकाधिकार पर, बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिए समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन भागों में सेवा प्रभार लगा सकता है।

ग्राहक सहमत है और पुष्टि करता है कि इस घटना में कि खाते के संबंध में कोई भी सेवा लागू कानूनों और विनियमों के तहत कर के लिए उत्तरदायी है या उत्तरदायी हो जाती है, ग्राहक ऐसी सेवाओं के संबंध में सभी करों या कर्तव्यों (जो भी नाम से जाना जाता है) वहन करेगा और सूर्योदय बैंक एतद्वारा खाते से ऐसी किसी भी राशि को काटने के लिए अधिकृत है, आगे नोटिस प्रदान करने या अतिरिक्त सहमति/प्राधिकरण प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना।

उपरोक्त घटनाओं में से किसी के होने की स्थिति में, ग्राहक को शेष राशि, इसके नियमों और शर्तों के अनुसार की गई सभी कटौतियों का शुद्ध प्राप्त होगा। ग्राहक को ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए अंतिम पंजीकृत पते पर सूचित किया जाएगा और सूर्योदय बैंक से ऐसी सभी राशि एकत्र करने की आवश्यकता होगी; यदि ग्राहक बैंक द्वारा उपरोक्त के रूप में उसे भेजे गए संचार में निर्धारित समय अवधि के भीतर राशि एकत्र नहीं करता है, तो सूर्योदय बैंक ग्राहक के अंतिम ज्ञात पते पर राशि भेजेगा और ग्राहक द्वारा ऐसी राशि प्राप्त न होने या ग्राहक द्वारा किए गए किसी भी नुकसान या क्षति के मामले में किसी भी कारण से उत्तरदायी नहीं होगा।

नौ. लेखा विवरण

मासिक ई-मेल स्टेटमेंट पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा

दस. ब्याज का भुगतान

बचत खातों में मूल्यवर्गित सभी रुपये में ब्याज की गणना खाते में बनाए गए दैनिक समापन शेष पर की जाएगी। इस प्रकार परिकलित ब्याज

को रुपये के अंशों की उपेक्षा करते हुए निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाता है।

बचत खाते पर मासिक ब्याज भुगतान के लिए, निवासी ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल संचार केवल तभी भेजा जाएगा जब देय ब्याज रु.50/- से अधिक हो।

ग्यारह. नामांकन

व्यक्तियों के नाम से परिचालित खाता(खातों) के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है। एक खाते के लिए केवल एक नामांकित व्यक्ति की अनुमति है और नामांकन ग्राहक द्वारा तीसरे व्यक्ति द्वारा विधिवत देखा जाना है। ग्राहक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे आरबीआई द्वारा बनाए गए नामांकन नियमों के अनुसार पावती मिलती है/दी जाती है। ग्राहक बैंक के साथ खाते की मुद्रा के दौरान नामांकन को संशोधित करने के लिए, उचित रूप में, बैंक को एक घोषणा के माध्यम से नामांकित व्यक्ति को बदलने के लिए स्वतंत्र है।

बारह. शर्तों में बदलाव

सूर्योदय बैंक के पास किसी भी समय किसी भी शर्त में संशोधन या पूरक या परिवर्तन करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा। सूर्योदय बैंक अपनी वेबसाइट पर या सूर्योदय बैंक द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी अन्य तरीके से इसे होस्ट करके संशोधित, पूरक, विविध या संशोधित शर्तों को सूचित कर सकता है। ग्राहक इन शर्तों की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें किसी भी संशोधन, पूरक, विविधताएं या संशोधन शामिल हैं, जिन्हें समय-समय पर वेबसाइट पर पोस्ट/अपडेट किया जा सकता है।

तेरह. संचार पते में परिवर्तन

ग्राहक संबंध खोलने के लिए आवेदन पत्र/एओएफ/खाता खोलने के फॉर्म (फॉर्मों) में बताए अनुसार संचार के लिए अपने निवास/रोजगार पते, संपर्क नंबर और पंजीकृत ई-मेल आईडी में परिवर्तन के संबंध में सूर्योदय बैंक को सूचित करने के लिए सहमत है, और कोई अन्य जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत है जिसकी सूर्योदय बैंक को समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है। यदि ग्राहक डाक या संचार पते को अपडेट करने में विफल रहता है, तो सूर्योदय बैंक इंस्टा-किट, चेक बुक, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी / पासवर्ड आदि जैसे डिलिवरेबल्स की डिलीवरी के कारण किसी भी नुकसान या क्षति के परिणामस्वरूप सभी देयता को गलत पते पर अस्वीकार कर देता है।

चौदह. संचार और नोटिस

ग्राहक और बैंक के बीच संचार का चुना गया तरीका निम्नानुसार हो सकता है:

चौदह.एक बैंक ग्राहक द्वारा बैंक को प्रदान किए गए नवीनतम पते, टेलीफोन नंबर या इलेक्ट्रॉनिक मेल पते (यदि कोई हो) पर ग्राहक से संपर्क करेगा। यदि नाम/पता/ईमेल आईडी में परिवर्तन होता है या खाते से संबंधित कोई अन्य परिवर्तन होता है, तो बैंक को जल्द से जल्द सूचित किया जाना आवश्यक है। ग्राहक किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा जो बैंक को ऐसे विवरणों पर अपडेट नहीं रखने के लिए हो सकता है।

चौदह.दो जब तक अन्यथा अनुरोध न किया जाए, बैंक किसी भी कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अधीन बैंक के रिकॉर्ड में नामित संयुक्त खाता धारक से संपर्क करेगा। पहला नामित खाता धारक उन सूचनाओं को पारित करने के लिए जिम्मेदार है जो बैंक अन्य खाताधारकों को भेजता है।

चौदह.तीन कुछ परिस्थितियों में, बैंक को कानून द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ग्राहक के खाते को संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। सुरक्षा कारणों से, बैंक ऐसे व्यक्ति को कुछ सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति नहीं दे सकता है, लेकिन जहां बैंक इन सेवाओं को उपलब्ध कराता है, वह व्यक्ति ग्राहक सुरक्षा विवरण का उपयोग कर सकता है और इस तरह के कार्यों को बैंक द्वारा ग्राहक को दिए गए सुरक्षा दायित्वों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

चौदह.चार बैंक और ग्राहक के बीच संचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से निम्नानुसार प्रभावित हो सकता है:

(अ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजे गए दस्तावेजों में ग्राफिक सम्मिलन जैसे फोटोग्राफ या लॉगोटाइप के संभावित अपवाद के साथ मुद्रित हार्ड कॉपी संस्करण के रूप में सभी जानकारी होगी।

(आ) इलेक्ट्रॉनिक वितरण एक ईमेल के रूप में हो सकता है, एक ईमेल के लिए एक अनुलग्नक, या वेबसाइट के लिए एक लिंक के प्रावधान के रूप में जहां से एक दस्तावेज़ डाउनलोड किया जा सकता है।

(इ) बैंक को उपयोगकर्ता को किसी भी दस्तावेज को वितरित करने के लिए अपने कानूनी दायित्व को पूरा करने के लिए माना जाएगा यदि ऐसा दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है।

(ई) यदि ग्राहक दस्तावेज प्राप्त करने के 24 घंटे के भीतर बैंक को किसी भी कठिनाई की सलाह देने में विफल रहता है, तो बैंक इसे दस्तावेज की स्वीकृति के रूप में मानेगा।

(उ) सूर्योदय बैंक, ग्राहक की सहमति से, ग्राहक द्वारा प्राप्त मौजूदा उत्पादों की सर्विसिंग के लिए टेलीफोन के माध्यम से ग्राहक के साथ संवाद कर सकता है और नए उत्पादों की पेशकश कर सकता है और इस तरह के संचार किसी भी मौजूदा डू नॉट कॉल दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करेंगे जो सूर्योदय बैंक और ग्राहक को नियंत्रित करने वाले अधिकार क्षेत्र में लागू हो सकते हैं।

(ऊ) बैंक से सभी ग्राहकों को या ग्राहकों के किसी भी उप-समूह को जानकारी का सामान्य संचार, यदि बैंक यथोचित रूप से कार्य करते हुए उचित समझता है, तो वेबसाइट (www.Suryodaybank.com) पर नोटिस के प्रकाशन के माध्यम से, या बैंक के परिसर में प्रमुख नोटिस लगाने से प्रभावित हो सकता है।

(ऋ) जब तक अन्यथा सहमति या निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तब तक ग्राहक को व्यक्तिगत रूप से कोई नोटिस या अन्य संचार दिया जा सकता है।

पंद्रह. प्रकटीकरण

पंद्रह.एक ग्राहक सूर्योदय बैंक को अपने आवेदन से संबंधित सभी डेटा या दस्तावेजों का आदान-प्रदान करने, साझा करने या भाग लेने के लिए अधिकृत करता है और उसे अधिकृत करता है ताकि वह अपने आवेदन से संबंधित सभी डेटा या दस्तावेजों को बैंकों/वित्तीय संस्थानों/क्रेडिट ब्यूरो/सांविधिक निकायों/कर प्राधिकरणों/केंद्रीय सूचना ब्यूरो/और सूर्योदय बैंक द्वारा नामांकित ऐसी अन्य एजेंसियों को उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से साझा कर सके, ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें सूर्योदय बैंक/इसकी समूह कंपनियां उपयोग या प्रसंस्करण के लिए आवश्यक या उपयुक्त समझे ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा उक्त जानकारी/डेटा का उपयोग करना या प्रसंस्कृत जानकारी/डेटा/उत्पादों को अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/ऋणदात्री प्रदाताओं/ऐसे व्यक्तियों के साथ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को प्रस्तुत करना और सूर्योदय बैंक/इसकी समूह कंपनियों को इस सूचना के उपयोग के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगा।

पंद्रह.दो मैं/हम एतद्वारा सूर्योदय बैंक को मेरे/हमारे कॉल रिकॉर्ड या संबंधित जानकारी निकालने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता हूं, जो मेरे/हमारे द्वारा किसी तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं को ऐसे तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं/सुविधाओं के संबंध में मेरे/हमारे द्वारा बताई गई हो/सूर्योदय बैंक के साथ हमारे मौजूदा बैंकिंग संबंध के कारण हो।

पंद्रह.तीन भारत में स्थित सूर्योदय बैंक लिमिटेड की किसी भी शाखा में खाता या सेवा रखने वाला कोई भी ग्राहक एतद्वारा स्वैच्छिक आधार पर बैंक को अपनी सभी व्यक्तिगत और खाता जानकारी और रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए सहमत होता है, जो बैंक द्वारा उत्पन्न या प्राप्त किसी भी जानकारी के साथ: बैंक द्वारा एकत्र और रखे जा सकते हैं (बैंक द्वारा नियुक्त किसी एजेंट या उपठेकेदार सहित) किसी भी देश में (जैसा कि बैंक उचित समझे) बैंक के प्रयोजनों के लिए, ग्राहक के साथ अपने संबंध बनाए रखना और बैंक या अन्य भविष्य की सेवाओं या उत्पादों के साथ या उसके माध्यम से किए गए खातों या निवेशों पर सेवाएं प्रदान करना या प्रदान करना; बैंक द्वारा मिलान प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है चाहे ग्राहक (ग्राहकों) के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई करने के उद्देश्य से या बैंक के वर्तमान या भविष्य के संदर्भ के लिए क्रेडिट इतिहास (बैंक के साथ संबंध समाप्त हो या नहीं) बनाए रखने के लिए।

पंद्रह.चार सूर्योदय बैंक पैसे स्वीकार नहीं करने का अधिकार और ग्राहक के आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

पंद्रह.पाँच एनआरई-एसए पर अर्जित ब्याज भारत में आयकर से मुक्त है। इसलिए ब्याज को भारत में स्रोत पर कर कटौती ("टीडीएस") और संपत्ति कर से छूट दी गई है।

पंद्रह.छः ग्राहक जहां भी आवश्यक हो, सटीक और पूर्ण जानकारी प्रदान करने का वचन देता है और सूर्योदय बैंक को हमेशा उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी की शुद्धता और पूर्णता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

पंद्रह.सात ग्राहक द्वारा प्रदान की गई गलत जानकारी से उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए सूर्योदय बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। सूर्योदय बैंक किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप गलत जानकारी प्रदान की जाती है।

पंद्रह.आठ ग्राहक पंजीकृत पते, संपर्क विवरण और आवासीय स्थिति में परिवर्तन के मामले में सूर्योदय बैंक को सक्रिय रूप से सूचित करेंगे।

पंद्रह.नौ ब्याज दरें और न्यूनतम जमा मूल्य बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं।

पंद्रह.दस वर्तमान में विदेशी मुद्रा में आवक और जावक विप्रेषण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

सोलह. पुनर्निर्धारण प्रक्रिया

सोलह.एक एनआरओ खातों को निवासी खातों के रूप में पुनःनामित किया जाना चाहिए या रोजगार लेने के लिए खाताधारक के भारत लौटने और/या आवासीय स्थिति में परिवर्तन होने पर बंद कर दिया जाना चाहिए।

सोलह.दो जब कोई निवासी भारतीय अनिवासी भारतीय बन जाता है, तो उसके मौजूदा निवासी खाते को एनआरओ खाते के रूप में पुनः नामित किया जा सकता है। एक नया एनआरई खाता "खाता खोलने का फॉर्म" या "आवेदन पत्र" या "एओएफ" के आधार पर खोला जा सकता है।

- खाते में शेष राशि बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम औसत शेष शर्त का पालन करना चाहिए और खाता खोलने के समय आपको सूचित किया जाना चाहिए। इस मासिक औसत शेष राशि का रखरखाव न करने पर मासिक आधार पर और बैंक द्वारा निर्धारित तिथि पर जुर्माना लगाया जाएगा।
- कोई विशेष अनुदेश (वित्तीय और गैर-वित्तीय) जैसे स्थायी अनुदेश, भुगतान रोकने के अनुदेश, चेक बुक जारी करना, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, कार्ड एटीएम/डेबिट कार्ड को हॉट लिस्ट करने के लिए अनुरोध, डुप्लीकेट कार्ड/पिन जारी करना लिखित रूप में और/या वैध इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी के माध्यम से सूचित किया जाना चाहिए (जहां भी ऐसा विकल्प उपलब्ध हो, ऐसी सुविधा के लिए लागू नियमों और शर्तों के अधीन), अन्यथा बैंक के लिए ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करना बाध्यकारी नहीं होगा।
- किसी भी समय, ग्राहक दोहरी निवासी स्थिति बनाए नहीं रख सकता है; अतः ग्राहक को सूर्योदय बैंक को खाते के संविधान/स्थिति को एनआरई से निवासी बचत खातों में परिवर्तन/पुनःनामित करने के लिए अपनी स्थिति में किसी परिवर्तन के बारे में लिखित रूप में और उचित घोषणा/दस्तावेजों के साथ सक्रिय रूप से सूचित करना चाहिए। पुनः पदनाम के बाद, खाता संख्या वही रहेगी।
- मैं/हम समझते हैं कि, यदि कोई खाता महीने के मध्य में एक उत्पाद प्रकार से दूसरे में स्विच किया जाता है, तो सभी शुल्क नए उत्पाद संस्करण के लिए लागू होंगे और उसी महीने के अंत से प्रभावी रूप से शुल्क लिया जाएगा।
- मैं/हम सहमत हैं कि SSFBL केवल बाहरी के माध्यम से सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर इन मानार्थ विशेषताओं और लाभों को प्रदान कर रहा है
- / तृतीय पक्ष के भागीदारों और एसएसएफबीएल या उसके कर्मचारियों की सीमित देयता होगी और वे अधिकतम 5,000 रुपये की राशि तक ही उत्तरदायी होंगे, यदि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हानि, क्षति/दावे, सूट के लिए जो इस उत्पाद के तहत ग्राहकों द्वारा प्राप्त इन तृतीय पक्ष लाभों, सुविधाओं और सेवाओं में से किसी के उपयोग या अन्यथा से उत्पन्न हो सकता है। मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि 5,000 रुपये की अधिकतम सीमा तक की देयता का निपटान पूरी तरह से बैंक के विवेक पर होगा और बैंक का निर्णय इस संबंध में अंतिम और निर्णायक होगा।
- मैं/हम समझते हैं कि इस खाते में प्रभारों की एक अलग अनुसूची है, और मैं/हम सहमत हूँ और प्रभारों की उक्त अनुसूची से बाध्य होने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ जो बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए उपलब्ध है।

पाँच. कर्मचारी वेतन बचत खाता

यदि स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया है, तो स्टाफ खाते को क्लासिक बचत खाते (10,000 एएमबी) में परिवर्तित कर दिया जाएगा, और उसके बाद सभी शुल्क ऐसे खातों पर लागू होंगे।

छः. अगली पीढ़ी बचत खाता

ग्राहक का अर्थ दस वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग से होगा, जो सूर्योदय बैंक के साथ खाता रखता है जो अगली पीढ़ी के बचत खाते का संचालन कर रहा है:

- ऐसे खाते में संचालन का तरीका एकल होगा। ग्राहक के अभिभावक / माता-पिता भी ग्राहक द्वारा उसके अल्पसंख्यक की अवधि के दौरान किए गए लेनदेन के लिए जिम्मेदार होंगे।
- रुपये क्लासिक डेबिट कार्ड ग्राहक को दैनिक सीमा के साथ निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा:
 - एटीएम: रु. 3,000
 - पीओएस और ई-कॉम: 2,000 रुपये.
- इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सुविधाएं ग्राहक को 2,000 रुपये की दैनिक लेनदेन सीमा के साथ प्रदान की जाएंगी।
- अगली पीढ़ी के बचत खाते में शेष राशि किसी भी समय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती (सिवाय इसके कि बैंक प्रेरित क्रेडिट के कारण 1 लाख रुपये की ऐसी सीमा पार हो गई हो, जैसे ब्याज क्रेडिट)।

- ग्राहक को चेक बुक जारी नहीं की जाएगी।
- नाबालिग के वयस्क होने पर, अगली पीढ़ी के बचत खाते के तहत विशेष सुविधाएं वापस ले ली जाती हैं। बैंक को खाते को फ्रीज करने का अधिकार होगा। इस तरह की रोक केवल ग्राहक (नाबालिग) द्वारा खाता खोलने की सभी औपचारिकताओं को पूरा करने पर जारी की जाएगी जैसा कि सामान्य बचत खाते पर लागू होता है

पाँच. अपना मुस्कान बचत खाता साझा करें

"ग्राहक" का अर्थ उस व्यक्ति से होगा जिसका बचत खाते से संबंधित बैंक के साथ मौजूदा संबंध है (बीएसबीडीए, बीएसबीडीए लघु, सनराइज, विशेष बचत खाता और अगली पीढ़ी के बचत खाता वेरिएंट को छोड़कर) और निम्नलिखित पात्रता के साथ नई सावधि जमा खोली:

अ. न्यूनतम एफडी राशि: INR 10,000

आ. अवधि: न्यूनतम 1 वर्ष

इ. भुगतान विकल्प: मासिक भुगतान

शेयर योर स्माइल सेविंग्स अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट होगा जिसमें ब्याज का हिस्सा चयनित ब्याज स्लैब के अनुसार मासिक आधार पर जमा किया जाएगा

ऑपरेटिंग शेयर योर स्माइल सेविंग्स अकाउंट:

- ऐसे खाते में संचालन का तरीका एकल होगा।
- ग्राहक महीने में एक बार स्विचिंग और ऑफ आउट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं
- ग्राहक एक समय में दान करने के लिए एक या अधिकतम दो कारणों का चयन कर सकते हैं
- ग्राहक अपने बचत खाते या बैंक के साथ सावधि जमा से अर्जित ब्याज का 10% से 100% तक की राशि दान करने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि दो कारणों का चयन किया जाता है, तो योगदान समान रूप से विभाजित किया जाएगा
- ग्राहक को उस आवृत्ति का चयन करना होगा जिस पर कॉर्पस को त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से चयनित गैर-सरकारी संगठनों को चुने गए कारणों के लिए दान किया जाना चाहिए
- ग्राहक को चेक बुक और डेबिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा
- आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत ग्राहकों को 50% कर छूट प्रदान की जाएगी कृपया ध्यान दें: कर छूट दरें सीबीडीटी अधिसूचनाओं के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं

छः. वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलना

- मैं 18 वर्ष से अधिक आयु का भारत का कर निवासी हूँ।
- मैं सूर्योदय बैंक का मौजूदा ग्राहक नहीं हूँ
- मैं समझता हूँ, इस चैनल के माध्यम से खोला गया खाता केवल एक उपयोगकर्ता के लिए है, और इसे संयुक्त रूप से नहीं रखा जा सकता है
- बैंक ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके बैंक को प्रदान किए गए मेरे आधार नंबर से यूआईडीएआई के डेटाबेस से मेरे व्यक्तिगत विवरण प्राप्त करने के लिए अधिकृत है, जिसका उपयोग केवाईसी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। मेरे द्वारा प्रदान किए गए डेटा में दिखाई देने वाली किसी भी गलत जानकारी के लिए मैं जिम्मेदार या उत्तरदायी हूँ। बैंक मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी में किसी भी त्रुटि के लिए न तो जिम्मेदार है और न ही उत्तरदायी है। खाता खोलने की पुष्टि तभी की जाएगी जब मैं आधार डेटाबेस से जुड़े और उपलब्ध अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी नंबर की पुष्टि/प्रतिष्ठा करूँगा।
- खाता खोलने के लिए उपलब्ध कराए गए डेटा के लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ।
- बैंक किसी भी कारण से खाता खोलने के दौरान ट्रांसमिशन के दौरान डेटा के नुकसान या विरूपण, तकनीकी खराबी या त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- मैं एतद्वारा बैंक को आयकर विभाग की वेबसाइट के माध्यम से अपने पैन को ऑनलाइन सत्यापित करने के लिए अधिकृत करता हूँ।
- मैं सभी सामान्य नियमों और शर्तों से सहमत हूँ जिन्हें www.suryodaybank.com पर एक्सेस किया जा सकता है।

- मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने उन नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है, समझ लिया है, और एतद्वारा सहमत हूँ जो सूर्योदय लघु वित्त बैंक लिमिटेड के साथ खाता खोलने को नियंत्रित करते हैं और एटीएम, फोन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ईमेल स्टेटमेंट आदि सहित विभिन्न सेवाओं सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- समय-समय पर किए जाने वाले सभी संशोधन नियम और शर्तों में और बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं से संबंधित जो इसके नोटिसबोर्ड/वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं या मुझे सूचित किए गए हैं, जिनमें इस फॉर्म में सूचीबद्ध सुविधाएं शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, मेरे लिए बाध्यकारी होंगे।
- मैं सहमत हूँ कि बैंक अपने विवेकाधिकार पर मुझे कोई सूचना दिए बिना किसी भी सेवा को पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद कर सकता है।
- मैं सहमत हूँ कि बैंक समय-समय पर लागू सेवा शुल्क के लिए मेरे खाते से डेबिट कर सकता है।
- प्रलेखन और खाता खोलने के फॉर्म के बावजूद, बैंक खाता खोलने के लिए आवेदन स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
- स्थानांतरण या किसी अन्य कारण से पते में परिवर्तन के मामले में, मैं वैध पते के प्रमाण के साथ इस तरह के बदलाव के 2 सप्ताह के भीतर बैंक को नया पता सूचित करूंगा।
- मैं घोषणा करता हूँ कि लिंक किए गए खाते में लेनदेन केवल मेरे वैध स्रोतों से किए जाएंगे और खाते का उपयोग कानून के विपरीत किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
- मैं शुरुआती धोखाधड़ी, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए दिन-प्रतिदिन के लेन-देन पर भी नजर रखूंगा।
- मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है।
- मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने उन नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है, समझ लिया है, और एतद्वारा सहमत हूँ जो सूर्योदय लघु वित्त बैंक लिमिटेड के साथ खाता खोलने को नियंत्रित करते हैं और एटीएम, फोन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ईमेल स्टेटमेंट आदि सहित विभिन्न सेवाओं सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- मैं सहमत हूँ कि बैंक अपने विवेकाधिकार पर मुझे बिना किसी सूचना के किसी भी सेवा को पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद कर देता है।
- प्रलेखन और खाता खोलने के फॉर्म के बावजूद, बैंक निम्नलिखित को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है खाता खोलने के लिए आवेदन। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
- मैं बैंक/उसके कार्यकारी द्वारा टेलीफोन/मोबाइल/एसएमएस/व्हाट्सएप/ईमेल के माध्यम से विपणन उद्देश्यों के लिए जानकारी/सेवा आदि प्राप्त करने के लिए सहमति देता हूँ।
- सभी खातों को उत्पाद प्रकार के आधार पर निर्धारित औसत शेष राशि बनाए रखनी चाहिए
- निर्धारित औसत शेष राशि के रखरखाव के मामले में, समय-समय पर प्रभारों की अनुसूची में उल्लिखित शुल्क लागू होंगे
- वीडियो केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से बचत खाता केवल उन ग्राहकों के लिए उपलब्ध है जो उन शहरों / स्थानों में रह रहे हैं जहां सूर्योदय बैंक शाखाएं उपलब्ध हैं और ऐसे खातों को बैंक शाखा द्वारा सेवित किया जा सकता है।

बैंक के पास वीडियो केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से खोले गए ऐसे बचत खाते को बंद करने का अधिकार सुरक्षित है, जहां यह पाया जाता है कि ओवीडी/लैट लांग लोकेशन चेक के माध्यम से पहचाने गए ग्राहक का पता ऐसे शहर में है जहां सूर्योदय बैंक की बैंक शाखाएं नहीं हैं।

शाखाओं की सूची के लिए [यहां क्लिक करें](https://locate.suryodaybank.com/#/) <https://locate.suryodaybank.com/#/>.

सात. कॉर्पोरेट वेतन खाता

- यदि मासिक वेतन लगातार 3 महीने से अधिक समय तक कॉर्पोरेट वेतन खाते में जमा नहीं किया जाता है, तो कॉर्पोरेट वेतन खाते के तहत विशेष सुविधाएं वापस ले ली जाती हैं। खाते को तब आदित्य बचत खाता (5000 एएमबी) के रूप में माना जाएगा, और उसके बाद सभी शुल्क ऐसे खातों पर लागू होंगे।

आठ. चालू खाते

- मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी चालू खाता खोलने के लिए बैंक की किसी भी शाखा या किसी अन्य बैंक में मौजूदा ऋण सुविधाओं की घोषणा की आवश्यकता होती है।

- मैं/हम खाता खोलने के फॉर्म में किसी भी बैंक द्वारा उपयोग की जा रही ऐसी किसी भी क्रेडिट सुविधाओं के विवरण की घोषणा करेंगे, उसमें आवश्यक प्रारूप के अनुसार।
- मैं/हम ऐसे बैंक/बैंकों से अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और खाता खोलने से पहले इसे आपको सौंपने का वचन देते हैं।
- मैं/हम बैंक को मांग पर बिना शर्त ओवरड्राफ्ट की राशि जो बैंक समय-समय पर मुझे/हमें प्रदान कर सकता है, उस पर अर्जित ब्याज के साथ चुकाने के लिए सहमत हूँ।
- मैं/हम सहमत हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि बैंक मुझे कोई भी ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य है।
- मैं/हम समझते हैं कि अगर किसी खाते को महीने के मध्य में एक उत्पाद वेरियंट से दूसरे में स्विच किया जाता है, तो सभी शुल्क नए उत्पाद वेरियंट के लिए लागू होंगे और उसी महीने के अंत से प्रभावी हो जाएंगे।

नौ. नॉन-रेजिडेंट फिक्स्ड डिपॉजिट

- सावधि जमा की प्रभावी तिथि वह तारीख होगी जिस दिन खाते में रखी गई ऐसी जमा राशि सूर्योदय लघु वित्त बैंक द्वारा वसूल की जाती है/जमा की जाती है।
 - किसी भी जमा राशि के संबंध में चेक/चेकों के भुगतान की प्रत्याशा में कोई भी सावधि जमा सूचना जारी नहीं की जाएगी और यह केवल वास्तविक भुगतान/जमा राशि की प्राप्ति पर ही जारी की जाएगी।
 - सूर्योदय बैंक पैसे स्वीकार न करने का अधिकार और ग्राहक के आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 - छुट्टियों और गैर-कार्य दिवसों पर प्राप्त अनुरोधों को अगले कार्य दिवस पर संसाधित किया जाएगा।
 - यदि सावधि जमा खोलने के लिए अनुरोध दूसरे और चौथे शनिवार या रविवार या अवकाश के दिन प्राप्त होते हैं, तो सावधि जमा अगले कारोबारी कार्य दिवस की मूल्य तिथि के साथ खोला जाएगा।
 - ग्राहक को बैंक में अपडेट की गई उसकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक इलेक्ट्रॉनिक सावधि जमा सलाह भेजी जाएगी। हालांकि, विशिष्ट अनुरोधों पर ग्राहक को सावधि जमा सलाह उपलब्ध कराई जा सकती है।
 - एनआरई-एफडी पर अर्जित ब्याज भारत में आयकर से मुक्त है। इसलिए ब्याज को स्रोत पर कर कटौती से छूट दी गई है ("टीडीएस") और संपत्ति कर।
 - एनआरओ-एफडी पर अर्जित ब्याज लागू दरों पर स्रोत पर कर कटौती ("टीडीएस") के अधीन होगा।
 - भारतीय रुपये सावधि जमाओं में ब्याज की गणना/भुगतान त्रैमासिक/मासिक अंतरालों पर तथा ऐसी सावधि जमाओं को खोलने की मूल्य तिथि को लागू दर/दरों पर, जैसा भी मामला हो, सूर्योदय बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार किया जाता है।
 - सूर्योदय बैंक वरिष्ठ नागरिकों द्वारा खोले गए एनआरआई फिक्स्ड डिपॉजिट पर अंतर ब्याज दरों की पेशकश नहीं करता है।
 - ग्राहकों को एक ही दिन में एक कार्यकाल बकेट में कई जमा नहीं करना चाहिए, जहां जमा की ऐसी व्यक्तिगत राशि पर लागू ब्याज दर ऐसी सावधि जमा की कुल राशि के लिए लागू दर से अधिक होगी।
 - सावधि जमा धारक ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में, जिसके संबंध में नामांकन लागू है, नामांकित व्यक्ति सावधि जमा की परिपक्वता से पहले या बाद में किसी भी समय सावधि जमा को भुनाने का हकदार होगा। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए, जीवित नामांकित व्यक्ति ग्राहक की मृत्यु के प्रमाण के साथ सूर्योदय बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन करेगा।
 - यदि किसी ग्राहक की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के समय कोई नामांकन लागू नहीं होता है, तो सूर्योदय बैंक देय राशि का भुगतान करेगा।
- (घ) सरकार ने मृतक ग्राहक को, सूर्योदय बैंक की मानक नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।
- मृत ग्राहक के एनआरओ सावधि जमा खाते से किसी एनआरआई नामिती को देय/देय राशि भारत में किसी प्राधिकृत डीलर/प्राधिकृत बैंक

में ऐसे एनआरआई नामिती के एनआरओ खाते में जमा की जाएगी।

- यदि एनआरआई एफडी 1 वर्ष की अवधि के भीतर समय से पहले बंद हो जाती है तो ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। मीयादी जमा की समयपूर्व निकासी के मामले में, लागू ब्याज दर निम्नलिखित से कम होगी:

(१) वास्तविक अनुबंधित जमा दर

(२) जमाराशि की बुकिंग के समय उस अवधि के लिए लागू दर जिसके लिए जमाराशियां बैंक के पास रहती हैं।

इसके अलावा, बैंक द्वारा समय-समय पर समय से पहले आहरण के लिए लागू जुर्माना इस प्रकार निर्धारित ब्याज दर पर लगाया जाएगा।

ऐसे सभी समयपूर्व निकासी के लिए ब्याज की दंड दर वर्तमान में 1% है।

जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, मीयादी जमाराशियों की समयपूर्व समाप्ति की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार की समयपूर्व निकासी पर कोई दंडात्मक प्रभार नहीं लगेगा। मीयादी जमाराशियों के समयपूर्व आहरण के अन्य सभी मामलों में दंडात्मक प्रभार लगाया जाएगा।

- ग्राहक जहां भी आवश्यक हो, सटीक और पूर्ण जानकारी प्रदान करने का वचन देता है और सूर्योदय बैंक को हमेशा उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी की शुद्धता और पूर्णता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
- ग्राहक द्वारा प्रदान की गई गलत जानकारी से उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए सूर्योदय बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। सूर्योदय बैंक किसी भी अनजाने में त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप गलत जानकारी प्रदान की जाती है।
- ग्राहक पंजीकृत पते, संपर्क विवरण और आवासीय स्थिति में परिवर्तन के मामले में सूर्योदय बैंक को सक्रिय रूप से सूचित करेंगे।
- इन सावधि जमाओं की शर्तों के अनुसार प्रोद्भूत लाभों के संबंध में लागू सभी कर, शुल्क, लेवी या अन्य वैधानिक बकाया और शुल्क ग्राहक से वसूले जाएंगे।
- सावधि जमा पर ऋण की अनुमति वर्तमान में नहीं है।
- एनआरओ बचत खाते से प्राप्त निधि का उपयोग एनआरआई फिक्स्ड डिपॉजिट खोलने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- एनआरओ फंड को एनआरआई खातों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
- सूर्योदय बैंक आपके दावों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, और उत्तरदायी भी नहीं होगा, यदि आपके द्वारा खोलने/बंद करने/नवीनीकरण के लिए प्रदान किए गए विवरण गलत/अपूर्ण हैं।
- एनआरआई एफडी के लिए न्यूनतम अवधि 1 वर्ष है और अधिकतम अवधि 10 वर्ष है।
- एनआरओ एफडी के लिए न्यूनतम अवधि 7 दिन और अधिकतम अवधि 10 वर्ष है।
- ब्याज दरें और न्यूनतम जमा मूल्य बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं।

दस. फिक्स्ड डिपॉजिट

- मैं/हम सावधि जमा पर ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती के लिए निर्धारित प्रपत्र में बैंक द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने से सहमत हूँ।
- फिक्स्ड डिपॉजिट / रिकरिंग डिपॉजिट के लिए, फॉर्म 121 स्वीकार किया जाएगा और ब्याज पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा यदि गैर-सीनियर सिटीजन के लिए अर्जित/संभावित ब्याज आय ₹4,00,000 तक हो और सीनियर सिटीजन के लिए ₹12,00,000 तक हो।
- मैं/हम सहमत हूँ कि मेरी/हमारी सावधि जमा की परिपक्वता पर, निपटान पर मेरे/हमारे लिखित अनुदेशों के अभाव में, बैंक अपने विवेकानुसार जमाराशि के मौजूदा कार्यकाल के लिए ब्याज की प्रचलित दरों पर उपार्जित ब्याज के साथ जमा राशि को नवीनीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- मैं सहमत हूँ कि संयुक्त जमा के मामले में मेरे अनुदेशों या सभी संयुक्त जमाकर्ताओं के अनुदेशों के आधार पर मेरी सावधि जमा को समय से पहले निकाल लिए जाने की स्थिति में, बैंक को बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रचलित विनियमों के अनुसार सावधि जमा की प्राप्तियों से पहले से भुगतान किया गया ब्याज या जुर्माना, यदि कोई हो, वसूलने का अधिकार होगा।

- मैं/हम सहमत हैं कि बैंक सावधि जमा राशि का भुगतान या तो परिपक्वता पर या किसी भी शाखा में समयपूर्व आहरण पर करेगा, चाहे जमा राशि किसी भी शाखा में बुक की गई हो।
- मीयादी जमा के समय से पहले आहरण या आंशिक आहरण के मामले में, लागू ब्याज दर निम्नलिखित में से कम होगी:
 - (३) वास्तविक अनुबंधित जमा दर
 - (४) जमाराशि की बुकिंग के समय उस अवधि के लिए लागू दर जिसके लिए जमाराशियां बैंक के पास रहती हैं।
- इसके अलावा, बैंक द्वारा समय-समय पर समय से पहले आहरण के लिए लागू जुर्माना इस प्रकार निर्धारित ब्याज दर पर लगाया जाएगा। ऐसे सभी समयपूर्व निकासी के लिए ब्याज की दंड दर वर्तमान में 1% है।
- जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, मीयादी जमाराशियों की समयपूर्व समाप्ति की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार की समयपूर्व निकासी पर कोई दंडात्मक प्रभार नहीं लगेगा। मीयादी जमाराशियों के समयपूर्व आहरण के अन्य सभी मामलों में दंडात्मक प्रभार लगाया जाएगा।
- 1 वर्ष की अवधि के लिए बुक किए गए केवल संचयी सावधि जमा की समयपूर्व निकासी के लिए कोई जुर्माना शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
- मैं/हम सहमत हैं कि यदि मीयादी जमा/आवर्ती जमा नहीं खोला जा सकता है, तो कारणों पर ध्यान दिए बिना, जमा की गई प्रारंभिक निधि बचत बैंक ब्याज (जैसा लागू हो) के साथ वापस की जाएगी
- डोमेस्टिक डिपॉजिट के मामले में, बुकिंग की तारीख से 7 दिनों के भीतर डिपॉजिट का लिक्विडेट होने पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- जमाराशियों के समयपूर्व आहरण के मामले में, बैंक का समयपूर्व आहरण खंड लागू होगा।
- जमाकर्ता (ओं) द्वारा पैन जमा नहीं करने पर मौजूदा आयकर नियमों के अनुसार लागू टीडीएस की उच्च दर आकर्षित होगी।
- मीयादी जमा की बुकिंग के समय बैंक के पास दर्ज परिपक्वता अनुदेशों के अनुसार जमाराशियों का पुनर्भुगतान/नवीकरण प्रभावित होगा।
- FD एडवाइस जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के लिखित अधिकृत पत्र से ही तीसरे पक्ष द्वारा एकत्र किया जा सकता है, जिसमें तीसरे पक्ष के हस्ताक्षर शामिल हों और जमाकर्ता/जमाकर्ताओं द्वारा प्रमाणित हों। हालांकि, यदि आपका FD एडवाइस तीसरे पक्ष के माध्यम से एकत्र किया जाता है, तो कृपया तुरंत अपनी आधार शाखा से FD खाता संख्या विवरण देकर उसके क्रेडेंशियल्स की जांच करें।
- भुगतान प्राप्त करने के लिए या नवीनीकरण के लिए या पे-आउट निर्देशों में बदलाव के लिए, ग्राहक नियत तारीख से एक दिन पहले सलाह देते हैं जैसा कि उस पर संकेत दिया गया है।
- यदि कोई सावधि जमा (टीडी) परिपक्व हो जाती है और आय का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक के पास अदावी छोड़ी गई राशि बचत खाते या परिपक्व टीडी पर अनुबंधित ब्याज दर, जो भी कम हो, पर लागू ब्याज दर को आकर्षित करेगी
- मासिक, अर्धवार्षिक या परिपक्वता पर स्वीकृत साधारण ब्याज अवधि, जमा के प्रकार और ग्राहक के निर्देशों पर निर्भर करता है। मासिक भुगतान में ब्याज में नियमानुसार छूट दी जाती है। संचयी जमा में ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है और केवल परिपक्वता पर भुगतान किया जाता है।
- 182 दिनों से कम अवधि वाले सावधि जमा के लिए, ब्याज की गणना की जाएगी और साधारण ब्याज विधि के अनुसार परिपक्वता के लिए भुगतान किया जाएगा
- रविवार और छुट्टियों के दिनों में परिपक्व होने वाली सभी मीयादी जमाराशियां रविवार या अवकाश पर ध्यान दिए बिना परिपक्वता तिथि को बंद कर दी जाएंगी और परिपक्वता आय मीयादी जमा खाते में पंजीकृत परिपक्वता तिथि पर निधि अंतरण/एनईएफटी के माध्यम से हमारे बैंक खाते में विप्रेषित की जाएगी। यदि मीयादी जमाराशियों को बंद करने में विलंब होता है तो बीच के अवकाश के लिए ब्याज का भुगतान ग्राहकों को किया जाएगा। बीच की छुट्टियों के लिए ब्याज का ऐसा भुगतान मूलधन/परिपक्वता मूल्य के आधार पर अनुबंधित दर पर होगा जो सावधि जमा के प्रकार पर निर्भर करता है अर्थात् नियमित या पुनर्निवेश।
- **समयपूर्व निकासी सुविधा के बिना थोक सावधि जमा के मामले में (3 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि के लिए):**
 - सावधि जमा में समय से पहले निकासी की सुविधा नहीं है, अर्थात् इस तरह के जमा की अवधि समाप्त होने से पहले जमाकर्ता द्वारा

सावधि जमा को बंद नहीं किया जा सकता है। हालांकि, बैंक निम्नलिखित असाधारण परिस्थितियों में इन जमाओं के समय से पहले निकासी की अनुमति दे सकता है: किसी भी वैधानिक और/या नियामक प्राधिकरण या मृतक दावा निपटान मामलों से किसी भी निर्देश की स्थिति में। बैंक आमतौर पर व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) की सावधि जमा की समय से पहले निकासी से इनकार नहीं कर सकते हैं, चाहे जमा का आकार कुछ भी हो।

□ बैंक ने कहा, 'नॉन मैच्योर विड्रॉल स्कीम के तहत बुक की गई सावधि जमाओं पर बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा नहीं देगा।

- नियत तारीख पर बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए ऑटो रिन्यूअल की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि सावधि/मीयादी जमा खाते परिचालन अनुदेशों 'कोई एक या उत्तरजीवी' के साथ खोले जाते हैं, तो परिपक्वता पर जमाराशियों की राशि के भुगतान के लिए दोनों जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, यदि जमाराशि का भुगतान परिपक्वता से पहले किया जाना है तो दोनों जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने पड़ सकते हैं। यदि परिचालन अनुदेश 'कोई भी या उत्तरजीवी' है और जमाकर्ताओं में से कोई एक परिपक्वता से पहले समाप्त हो जाता है, तो मृतक संयुक्त धारक के कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना सावधि/मीयादी जमा के पूर्व-भुगतान की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, यह परिपक्वता पर उत्तरजीवी को भुगतान करने के रास्ते में नहीं खड़ा होगा।
- यदि अधिदेश 'पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी' है, तो 'पूर्व' अकेले ही सावधि/सावधि जमा की परिपक्व राशि का परिचालन/आहरण कर सकता है, जब दोनों जमाकर्ता जीवित हों। हालांकि, परिपक्वता से पहले जमा राशि का भुगतान करने की स्थिति में दोनों जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने पड़ सकते हैं। यदि फिक्स्ड/टर्म डिपॉजिट की मेच्योरिटी से पहले पूर्व समाप्त हो जाता है, तो 'उत्तरजीवी' परिपक्वता पर जमा वापस ले सकता है। तथापि, समयपूर्व निकासी के लिए दोनों पक्षों की सहमति की आवश्यकता होगी, जब दोनों जीवित हों, और जमाकर्ताओं में से किसी एक की मृत्यु के मामले में जीवित जमाकर्ता और मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति की आवश्यकता होगी।
- यदि संयुक्त जमाकर्ता 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी' या 'पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी' के अधिदेश के अनुसार भी सावधि/सावधि जमाराशियों के समयपूर्व आहरण की अनुमति देना पसंद करते हैं तो ऐसा करने के लिए बैंक खुले होंगे, बशर्ते उन्होंने उक्त प्रयोजन के लिए जमाकर्ताओं से विशिष्ट संयुक्त अधिदेश लिया हो। दूसरे शब्दों में, "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी" या "पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी" अधिदेश वाली सावधि जमाराशियों के मामले में, बैंकों को अनुमति दी जाती है कि वे दूसरे की मृत्यु पर जीवित संयुक्त जमाकर्ता द्वारा जमाराशि को समयपूर्व निकालने की अनुमति दें, केवल तभी जब संयुक्त जमाकर्ताओं की ओर से इस आशय का संयुक्त अधिदेश हो।
- संयुक्त जमाधारकों को सावधि जमा करते समय या बाद में किसी भी समय जमाराशि/अवधि के दौरान अधिदेश देने की अनुमति दी जा सकती है। यदि ऐसा अधिदेश प्राप्त किया जाता है, तो बैंक मृतक संयुक्त जमाधारक के कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना जीवित जमाकर्ता द्वारा सावधि/सावधि जमाओं के परिपक्वतापूर्व आहरण की अनुमति दे सकते हैं। यह भी दोहराया जाता है कि समय पूर्व ऐसी निकासी पर कोई दंडात्मक प्रभार नहीं लगेगा।
- जब सावधि जमा खाता 'दोनों में से कोई एक अथवा उत्तरजीवी' आधार पर दो जमाकर्ताओं के संयुक्त नामों से खोला जाता है और उक्त संयुक्त जमाकर्ताओं के पास पहले से ही 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी' अनुदेशों पर संयुक्त रूप से उनके नाम पर बचत बैंक खाता है, तो सावधि जमा की परिपक्वता पर परिपक्व सावधि जमा की आय बैंक में पहले से खोले गए संयुक्त बचत बैंक खाते में जमा की जा सकती है। सावधि जमा की आय को जमा करने के लिए पहले जमाकर्ता के नाम पर एक अलग बचत बैंक खाता खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- मैं/हम सहमत हूँ कि उत्तरजीविता खंड के साथ संयुक्त सावधि जमा के मामले में, बैंक को एक या अधिक संयुक्त जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, अनुरोध पर, उत्तरजीवी को सावधि जमा आय का समय से पहले भुगतान करके मुक्त किया जाएगा।
- मीयादी जमा पर रु.100/- से कम या उसके बराबर का कोई ब्याज/परिपक्वता भुगतान बचत या चालू खाते में जमा किया जाएगा, चाहे जमा की बुकिंग के समय दिए गए अनुदेश कुछ भी हों या जमाराशि की अवधि के दौरान कभी भी परिवर्तन किया जाए।
- जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, मीयादी जमा/राशियों के परिपक्वता/परिसमापन की अनुमति दी जाएगी। इस तरह के समयपूर्व परिसमापन पर कोई दंडात्मक शुल्क नहीं लगेगा।
- सावधि जमा के मामले में और स्रोत बचत/चालू खाता एकल रूप से धारित किया जाता है, ऐसे सावधि जमा को नेट बैंकिंग के माध्यम से भी परिसमाप्त किया जा सकता है।

ग्यारह. नॉन-कॉलेबल फिक्स्ड डिपॉजिट- रिटेल

घरेलू सावधि जमा उत्पाद जिसमें जमाकर्ता को समयपूर्व निकासी विकल्प के लिए सामान्य एफडी जमा की दर पर ब्याज की अंतर दर मिलती है।

- न्यूनतम राशि – रु. 1 करोड़ से अधिक, अधिकतम राशि – रु. 2.99 करोड़
- कार्यकाल: नॉन-कॉलेबल फिक्स्ड डिपॉजिट की रेट चैट में उल्लिखित कार्यकाल के अनुसार लागू
- इस उत्पाद में अल्पकालिक सावधि जमा बुकिंग उपलब्ध नहीं है।
- पारंपरिक (मासिक और त्रैमासिक) या संचयी भुगतान में उपलब्ध है
- नामांकन सुविधा उपलब्ध है
- समय से पहले निकासी, सावधि जमा पर ऋण और ऑटो-नवीनीकरण सुविधा की अनुमति नहीं है।
- ब्याज भुगतान प्रचलित आयकर अधिनियम के अनुसार स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के अधीन होगा।
- सरकारी विभागों द्वारा सुरक्षा के रूप में स्वीकार किया जाता है और गैर-निधि-आधारित गतिविधियों के लिए मार्जिन के रूप में समय से पहले भुगतान की मांग नहीं करने के लिए उनकी स्वीकृति के अधीन
- ब्याज तिमाही आधार पर संयोजित किया जाएगा और संचयी जमाराशियों के मामले में जमाराशि की परिपक्वता पर देय होगा।
- लागू ब्याज दरें बैंक द्वारा निधियों की प्राप्ति की तारीख/समय के अनुसार दी जाएंगी।
- स्व-संचालित नाबालिग खाता, वरिष्ठ नागरिक, अनिवासी व्यक्ति और आवर्ती जमा को गैर-कॉल करने योग्य सावधि जमा-खुदरा के लिए शर्तों से छूट दी गई है।
- जमाकर्ता (एकल/संयुक्त)/दिवालियापन/समापन/समापन/न्यायालय/विनियामकों/प्राप्तकर्ता/परिसमापक द्वारा निदेशों को छोड़कर, किसी भी मामले में योजना के अंतर्गत समयपूर्व आहरण/आंशिक आहरण की अनुमति नहीं है। यदि ऊपर बताए गए अपवादों के कारण समय से पहले आहरण की अनुमति दी जाती है, तो बैंक का समयपूर्व निकासी खंड ऐसे बंद होने के लिए लागू होगा।
- जब आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ नॉन-कॉलेबल फिक्स्ड डिपॉजिट खोलते हैं, तो मीयादी जमा में ब्याज की गणना नीचे दी गई है:
 - संचयी ब्याज/पुनः निवेश ब्याज की गणना प्रत्येक तिमाही में की जाती है और मूलधन में इस प्रकार जोड़ी जाती है कि ब्याज का भुगतान पिछली तिमाही में अर्जित ब्याज पर भी किया जाता है।
 - मासिक जमा योजना की स्थिति में, ब्याज की गणना तिमाही के लिए की जाएगी और मानक एफडी दर पर रियायती दर पर मासिक भुगतान किया जाएगा।
 - मासिक/त्रैमासिक ब्याज भुगतान वाली एफडी के लिए, ब्याज भुगतान महीने/तिमाही के अंतिम दिन की शुरुआत में शुरू हो जाता है और इसलिए सिस्टम महीने/तिमाही की अंतिम तिथि तक ब्याज की गणना करता है।
- जमा की अवधि के दौरान ग्राहक को ब्याज की कोई हानि नहीं होगी क्योंकि लागू ब्याज का भुगतान पूरी अवधि के लिए, परिपक्वता या समापन की तारीख तक, जो भी पहले हो, किया जाएगा।
- स्रोत पर कर की कटौती समय-समय पर प्रचलित आयकर विनियमों के अनुसार की जाती है।
- मीयादी जमा पर गणना में ब्याज

सावधि जमा पर ब्याज की गणना भारतीय बैंक संघ द्वारा सुझाई गई पद्धति और परंपरा के अनुसार की जाती है, जो निम्नानुसार है:

- ब्याज की गणना मीयादी जमाराशियों पर तिमाही अंतरालों पर की जाएगी और जमा की अवधि के आधार पर बैंक द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान किया जाएगा।
- त्रैमासिक भुगतान के साथ पारंपरिक सावधि जमा के लिए, ब्याज की गणना पूरी तिमाहियों के लिए मूल राशि पर की जाती है और फिर शेष अवधि के लिए, ब्याज की गणना पूर्ण महीनों के लिए और आगे अपूर्ण महीने के लिए वास्तविक दिनों की संख्या पर की जाती है।

मासिक वेतन के मामले में, ब्याज का भुगतान रियायती दर पर मासिक रूप से किया जाएगा।

- संचयी जमाराशियों के लिए, ब्याज सटीक तिमाहियों के पूरा होने पर तिमाही रूप से संयोजित किया जाता है। पूर्ण तिमाहियों से परे टूटी हुई अवधि के लिए, राशि की गणना तिमाही में अवधि के अनुपात में की जाती है।
- "मासिक/त्रैमासिक ब्याज भुगतान वाली एफडी के लिए, ब्याज भुगतान महीने/तिमाही के अंतिम दिन की शुरुआत में शुरू हो जाता है और इसलिए सिस्टम महीने/तिमाही की अंतिम तिथि तक ब्याज की गणना करता है"। जमा की अवधि के दौरान ग्राहक को ब्याज की कोई हानि नहीं होगी क्योंकि लागू ब्याज का भुगतान पूरी अवधि के लिए, परिपक्वता या समापन की तारीख तक, जो भी पहले हो, किया जाएगा।

बारह. टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट

- टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट (टैक्स सेवर एफडी) खोलने के लिए एक वैध पैन अनिवार्य है।
- 1 जुलाई 2017 से नियमित खाता खोलने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।
- केवल व्यक्ति और एचयूएफ ही टैक्स सेवर एफडी खोलने के लिए पात्र हैं।
- टैक्स सेवर एफडी न्यूनतम 1,000 रुपये और (उसके बाद 100 रुपये के गुणकों में) अधिकतम 1,50,000 रुपये तक खोला जा सकता है।
- टैक्स सेवर एफडी में समय से पहले निकासी की अनुमति नहीं है।
- जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, मीयादी जमाराशियों की समयपूर्व समाप्ति की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार की समयपूर्व निकासी पर कोई दंडात्मक प्रभार नहीं लगेगा।

ऐसी समयपूर्व निकासी के लिए लागू ब्याज दर निम्नलिखित से कम होगी:

- वास्तविक अनुबंधित जमा दर
- जमाराशि की बुकिंग के समय उस अवधि के लिए लागू दर जिसके लिए जमाराशियां बैंक के पास रहती हैं।
- टैक्स सेवर एफडी को ऑटो रिन्यू नहीं किया जा सकता है।
- टैक्स सेवर एफडी केवल 5 साल की निश्चित अवधि के लिए खुली है।
- टैक्स सेवर एफडी निम्नलिखित जमा प्रकारों की हो सकती है:
 - ☐ पारंपरिक (गैर-संचयी)
 - ☐ मासिक/त्रैमासिक ब्याज भुगतान
- संचयी एफडी के लिए, ब्याज को चक्रवृद्धि किया जाएगा और मूल राशि में परिपक्वता पर जमा किया जाएगा और पारंपरिक (गैर-संचयी) एफडी के लिए, ब्याज बचत खाते में मासिक / त्रैमासिक जमा किया जाएगा।
- टैक्स सेवर के खिलाफ कोई ऋण या ग्रहणाधिकार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त ब्याज दर जारी की जाएगी यदि ग्राहक द्वारा "वरिष्ठ नागरिक" का विकल्प चुना जाता है और बैंक में दर्ज जन्म तिथि के अनुसार, सावधि जमा बनाने की तारीख को ग्राहक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। यदि कोई नया ग्राहक है, तो हमें केवाईसी के एक भाग के रूप में आयु का प्रमाण प्राप्त करना पड़ सकता है।
- स्रोत पर कर की कटौती समय-समय पर प्रचलित आयकर विनियमों के अनुसार की जाएगी।

तेरह. आवर्ती जमा

- मैं/हम इस बात से अवगत हैं/हैं कि बैंक द्वारा आवर्ती जमाराशियों पर ब्याज की गणना भारतीय बैंक संघ द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार की जाएगी।
- आवर्ती जमा में ब्याज की गणना किश्त का भुगतान करने की तारीख से की जाएगी।

- आरडी पर ब्याज की गणना की विधि वास्तविक/वास्तविक तिमाही चक्रवृद्धि पर होगी।
- मैं/हम समझते हैं कि ग्राहक किसी भी समय अधिकतम 15 आवर्ती जमा रख सकता है. सीमा पर विचार करते समय, पिछले 90 दिनों के भीतर बंद की गई किसी भी आवर्ती जमा राशि को 15 आवर्ती जमा की सीमा के लिए भी माना जाएगा।

किश्त का भुगतान

- मैं/हम सहमत हैं कि एक बार निर्धारित की गई किश्त राशि को बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- मैं/हम सहमत हैं कि भुगतान के समय एक से अधिक किश्तों के अतिदेय होने की स्थिति में, भुगतान की गई किश्त, यदि केवल एक किश्त को कवर करने के लिए पर्याप्त है, तो उसे अतिदेय पहली/सबसे पुरानी किश्त के लिए विनियोजित किया जाएगा।
- मैं/हम सहमत हैं कि किश्तों के आंशिक भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- मैं/हम सहमत हैं कि बैंक मुझे/हमें मेरी/हमारे खाते में मेरी/हमारी किश्तों के भुगतान के लिए पर्याप्त शेष राशि बनाए रखने के बारे में सूचित करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

नशा-त्याग

- मैं/हम सहमत हैं कि एक महीने के भीतर समय से पहले बंद करने के मामले में, मुझे/हमें कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और केवल मूल राशि वापस की जाएगी।

परिपक्वता

- मैं/हम सहमत हैं कि पुनर्भुगतान के लिए देय जमा राशि परिपक्वता पर और अनुबंधित अवधि के पूरा होने पर भुगतान की जाएगी, भले ही किश्तों का भुगतान किया जाना शेष हो।
- मैं/हम जानते हैं कि आवर्ती जमा पुष्टिकरण सलाह पर उल्लिखित परिपक्वता राशि समय पर सभी किश्तों के भुगतान के अधीन है।

अतिदेय किश्तें

- मैं/हम सहमत हैं कि यदि मासिक किश्तों में बार-बार चूक (गैर-भुगतान) देखी जाती है, और 6 किश्तें बकाया में आती हैं, तो बैंक आरडी खाता बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसे बंद खातों पर लागू ब्याज दर बैंक के समयपूर्व निकासी खंड के अनुसार होगी।
- यदि ग्राहक समय पर किसी विशेष किश्त के लिए भुगतान नहीं करता है और उसी का भुगतान किसी बाद की तारीख में किया जाता है, तो ऐसी किश्त में डिफॉल्ट की अवधि के लिए आरडी किश्त राशि का 1% प्रति माह जुर्माना लगेगा। सिस्टम प्री-क्लोजर या मेच्योरिटी के समय शुल्क एकत्र करेगा।

समयपूर्व निकासी खंड

मीयादी जमा के समय से पहले आहरण या आंशिक आहरण के मामले में, लागू ब्याज दर निम्नलिखित में से कम होगी:

(१) वास्तविक अनुबंधित जमा दर

(२) जमाराशि की बुकिंग के समय उस अवधि के लिए लागू दर जिसके लिए जमाराशियां बैंक के पास रहती हैं।

इसके अलावा, बैंक द्वारा समय-समय पर समय से पहले आहरण के लिए लागू जुर्माना इस प्रकार निर्धारित ब्याज दर पर लगाया जाएगा।

ऐसे सभी समयपूर्व निकासी के लिए ब्याज की दंड दर वर्तमान में 1% है।

जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, मीयादी जमाराशियों की समयपूर्व समाप्ति की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार की समयपूर्व निकासी पर कोई दंडात्मक प्रभार नहीं लगेगा। मीयादी जमाराशियों के समयपूर्व आहरण के अन्य सभी मामलों में दंडात्मक प्रभार लगाया जाएगा।

परिपक्वता मूल्य समय-समय पर आयकर अधिनियम के अनुसार, यदि लागू हो, तो टीडीएस कटौती के अधीन है।

चालू खाते पर स्वीप सुविधा।

- मैं/हम सहमत हैं कि स्वीप-इन सुविधा के लिए मेरे/हमारे चालू खाते से लिंक किए गए मेरे/हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट (जमाओं) का नाम (नामों) और शीर्षक मेरे चालू खाते के समान होना चाहिए।
- मैं/हम समझते हैं कि 15 दिसंबर 2022 से प्रभावी फिक्स्ड डिपॉजिट मेरे/हमारे अंतर्निहित चालू खाता प्रकार में उपलब्ध शेष राशि के आधार पर दिन के अंत में दैनिक आधार पर निम्नानुसार बनाया जाएगा:

खाता प्रकार	के कई में एफडी स्वीप करें	शेष राशि ऊपर से अधिक है
चालू खाता क्लासिक	₹ 10,000	₹ 2,00,000
चालू खाता सर्वोच्च	₹ 10,000	₹ 5,00,000
चालू खाता TASC	₹ 1,00,000	₹ 25,00,000

- मैं/हम जानते हैं/हैं और स्वीकार करते हैं कि सुविधा में स्वीप इन सुविधा के लिए केवल सावधि जमा/जमा/राशियों की मूल राशि पर विचार किया जाएगा न कि ब्याज पर. तदनुसार, स्वीप-इन सुविधा के तहत भुगतान करने के लिए मूल राशि की अपर्याप्तता के कारण किसी भी भुगतान निर्देशों के गैर-अनुपालन से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
- मैं/हम जानते हैं कि, स्वीप इन के लिए चालू खाते में एक से अधिक जमाओं के लिंकेज के मामले में, सिस्टम पहले खोले गए नवीनतम जमा से धन स्वीप-इन करेगा, अर्थात्, आपके सावधि जमा (एफडी) से चालू खाते में धन का स्वीप इन लास्ट इन फर्स्ट आउट आधार (एलआईएफओ) पर ट्रिगर होगा।
- स्वीप के लिए ग्रेसहोल्ड समय-समय पर लागू चालू खाता संस्करण के लिए निर्दिष्ट के अनुसार होंगे। लागू ग्रेसहोल्ड के विवरण के लिए कृपया शाखा से संपर्क करें.
- इस सुविधा के माध्यम से किए गए सावधि जमा पर कोई समयपूर्व निकासी जुर्माना नहीं है।
- मीयादी जमा को बंद करने या नवीकरण या आंशिक आहरण के लिए जमाराशि के समयपूर्व आहरण के मामले में, लागू ब्याज दर निम्नलिखित में से कम होगी:
 - (१) वास्तविक अनुबंधित जमा दर
 - (२) जमाराशि की बुकिंग के समय उस अवधि के लिए लागू दर जिसके लिए जमाराशियां बैंक के पास रहती हैं.
- आंशिक / समयपूर्व आहरण की स्थिति में, सावधि जमा ब्याज दर उस अवधि के लिए लागू होती है जिसके लिए सावधि जमा उस अवधि के लिए बचत खाता ब्याज दर से कम हो सकती है।
- चालू खाता स्वीप व्यवस्था के तहत मौजूदा ग्राहकों के लिए, 15 दिसंबर 2022 की प्रभावी तिथि से पहले से बुक की गई स्वीप एफडी वर्तमान नियमों/मापदंडों के अनुसार जारी रहेगी।
- 9 अप्रैल 2021 से, सहकारी बैंक और वित्तीय संस्थान जिन्होंने पहले से ही चालू खाता स्वीप सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे। सहकारी बैंक और वित्तीय संस्थान जो पहले से ही 9 अप्रैल 2021 से पहले स्वीप सुविधा के लिए नामांकित हैं, उनके पास यह सुविधा उपलब्ध रहेगी।

बचत खाते पर स्वीप सुविधा।

- मैं/हम सहमत हैं कि स्वीप-इन सुविधा के लिए मेरे/हमारे बचत खाते से लिंक किए गए मेरे/हमारे सावधि जमा (जमाओं) का नाम (खाताओं) और शीर्षक मेरे बचत खाते के समान होना चाहिए.
- मैं/हम समझते हैं कि स्वीप सुविधा का लाभ उठाने वाले मेरे/हमारे अंतर्निहित मौजूदा बचत खाता प्रकार में उपलब्ध शेष राशि के आधार पर दिन के अंत में प्रतिदिन सावधि जमा (जमाएं) बनाई जाएंगी:
- बचत क्लासिक – खाते में शेष राशि 50,000 रुपये से अधिक होने पर एफडी 10,000 रुपये के गुणक में बनाई जाएगी।
- बचत सर्वोच्च और बचत TASC – FD 10,000 रुपये के गुणक में बनाई जाएगी यदि खाते में शेष राशि 2,50,000 रुपये से अधिक है।
- मैं/हम सहमत हैं कि बचत खाते में सभी स्वीप-इन जमाराशियां 1 वर्ष 1 दिनों की अवधि के लिए और इसी अवधि के लिए परिपक्वता राशि के

स्वतः नवीनीकरण पर होंगी। मैं बैंक को स्वीप-इन अनुदेश के कारण गठित जमाराशियों की इकाइयों को तोड़ने के लिए प्राधिकृत करता हूँ यदि मेरे/हमारे लिंकड बचत खाते में अपर्याप्त शेष राशि है।

- मैं/हम जानते हैं/हैं और स्वीकार करते हैं कि सुविधा में स्वीप इन सुविधा के लिए केवल सावधि जमा/जमा/राशियों की मूल राशि पर विचार किया जाएगा न कि ब्याज पर. तदनुसार, स्वीप-इन सुविधा के तहत भुगतानों का भुगतान करने के लिए मूल राशि की अपर्याप्तता के कारण किसी भी भुगतान अनुदेशों के गैर-अनुपालन से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
- मैं/हम जानते हैं कि, स्वीप इन के लिए बचत खाते में एक से अधिक जमाओं के लिंकेज के मामले में, सिस्टम पहले खोले गए नवीनतम जमा से धन स्वीप-इन करेगा, अर्थात्, आपके सावधि जमा (एफडी) से बचत खाते में धन का स्वीप इन लास्ट इन फर्स्ट आउट आधार (एलआईएफओ) पर ट्रिगर होगा।
- स्वीप के लिए थ्रेसहोल्ड समय-समय पर लागू बचत खाता संस्करण के लिए निर्दिष्ट के अनुसार होगा। लागू थ्रेसहोल्ड के विवरण के लिए कृपया शाखा से संपर्क करें.
- इस सुविधा के माध्यम से किए गए सावधि जमा पर कोई समयपूर्व निकासी जुर्माना नहीं है।
- मीयादी जमा को बंद करने या नवीकरण या आंशिक आहरण के लिए जमाराशि के समयपूर्व आहरण के मामले में, लागू ब्याज दर निम्नलिखित में से कम होगी:
 - अ. वास्तविक अनुबंधित जमा दर
 - आ. जमाराशि की बुकिंग के समय उस अवधि के लिए लागू दर जिसके लिए जमाराशियां बैंक के पास रहती हैं.
- आंशिक / समयपूर्व निकासी की स्थिति में, उन पर लागू सावधि जमा ब्याज दर उस अवधि के लिए बचत खाता ब्याज दर से कम हो सकती है।
- स्वीप सुविधा 20 अगस्त 2019 को या उसके बाद खोले गए बचत खाते के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
- 20 अगस्त 2019 से पहले चुने गए ग्राहकों के लिए स्वीप सुविधा उपरोक्त नियमों और शर्तों के अनुसार जारी रहेगी.

पंद्रह. फुटकर

- बैंक किसी भी समय सहमत दर पर मूल्य वर्धित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लागू करों के साथ ग्राहक शुल्क से चार्ज करने और वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा कि वह उचित समझे। निर्दिष्ट तिथि को या उससे पहले प्रभार/शुल्क (लागू करों सहित) का भुगतान करने में विफलता ग्राहक को बैंक द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज के भुगतान और/या बैंक के प्रति किसी भी दायित्व के बिना सेवाओं को वापस लेने के लिए उत्तरदायी बनाएगी।
 - ग्राहक को प्रदान की गई सेवाएं किसी भी परिस्थिति में हस्तांतरणीय नहीं हैं और केवल ग्राहक द्वारा उपयोग की जाएंगी। हालांकि, बैंक को इन नियमों और शर्तों के तहत अपने सभी अधिकारों को स्थानांतरित करने, असाइन करने या बेचने का अधिकार होगा। ये नियम और शर्तें बैंक के उत्तराधिकारियों और समनुदेशित व्यक्तियों के लाभ के लिए लागू और प्रभावी रहेंगी
 - बैंक के पास किसी भी नियम और शर्तों, सुविधाओं और प्रस्तावित लाभों में संशोधन या पूरक करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा, जिसमें बिना किसी सीमा के, डोरस्टेप सेवाएं आदि शामिल हैं, जो किसी भी समय शुल्क या दरों और गणना के तरीकों को प्रभावित करते हैं। ग्राहक इन संशोधित नियमों और शर्तों के तहत किए गए सभी शुल्कों और अन्य सभी दायित्वों के लिए उत्तरदायी होगा जब तक कि बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के तहत सभी राशियों का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है। बैंक अपनी वेबसाइट पर या बैंक की सुविधा के अनुसार किसी अन्य तरीके से संशोधित नियमों और शर्तों को होस्ट करके सूचित कर सकता है, जो संशोधित नियम ग्राहक पर बाध्यकारी होंगे। ग्राहक इन नियमों और शर्तों की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट किए जाने वाले संशोधन शामिल हैं और सेवाओं का उपयोग जारी रखते हुए संशोधित नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा।
 - बैंक अपने विवेकानुसार ग्राहक को पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी समय सेवाओं को अस्थायी रूप से वापस ले सकता है या पूरी तरह या आंशिक रूप से सेवाओं को समाप्त कर सकता है। बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के, किसी भी समय सेवाओं को निलंबित कर सकता है, जिसके दौरान कोई रखरखाव कार्य या मरम्मत की आवश्यकता होती है या किसी भी आपात स्थिति के मामले में या सुरक्षा कारणों से, जिसके लिए आवश्यक हो
- सेवाओं का निलंबन. बैंक सेवाओं को वापस लेने या समाप्त करने के लिए उचित नोटिस देने का प्रयास करेगा।
- उपर्युक्त किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ग्राहक नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है या बैंक को ग्राहक की मृत्यु, दिवालियापन या कानूनी क्षमता की कमी के बारे में पता चलता है तो बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाओं को निलंबित या समाप्त कर

सकता है। ये नियम और शर्तें भारत के कानूनों द्वारा शासित होंगी। ग्राहक सहमत है कि नियम और शर्तों से उत्पन्न होने वाली कोई कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही भारत में मुंबई में अदालतों या न्यायाधिकरणों में लाई जाएगी नियम और शर्तों का कोई भी प्रावधान जो किसी भी क्षेत्राधिकार में निषिद्ध या गैर-प्रवर्तनीय है, ऐसे क्षेत्राधिकार के रूप में, निषेध या गैर-प्रवर्तनीयता की सीमा तक अप्रभावी होगा, लेकिन इन नियमों और शर्तों के शेष प्रावधानों को अमान्य नहीं करेगा या इस तरह के प्रावधान को प्रभावित नहीं करेगा।

- सेवाओं के अंतर्गत इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, टेली-सर्विस ऑपरेशंस (चाहे वॉयस, वीडियो, डेटा या उसका संयोजन) या इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, स्वचालित मशीन नेटवर्क या बैंक की ओर से स्थापित दूरसंचार के अन्य साधनों सहित दूरस्थ लेनदेन करने के लिए सुविधाओं के माध्यम से सेवाओं के लिए और सेवाओं के संबंध में सभी लेनदेन, इन नियमों और शर्तों के पालन में और अनुपालन में किए जाने पर कानूनी रूप से बाध्यकारी और वैध लेनदेन का गठन करेगा।

सोलह. मोबाइल बैंकिंग

• परिभाषाएँ:

इस खंड में, निम्नलिखित शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ उनके विपरीत सेट किया गया है जब तक कि संदर्भ अन्यथा इंगित न करे:

"मोबाइल बैंकिंग या एसएमएस बैंकिंग" का अर्थ है ग्राहक के बचत/चालू खाते/सावधि जमा से संबंधित जानकारी तक पहुंच की सुविधा और उत्पादों और/या अन्य सेवाओं के उपयोग की सुविधा जो समय-समय पर सूर्योदय लघु वित्त बैंक लिमिटेड ("बैंक") द्वारा समय-समय पर मोबाइल बैंकिंग पर/के माध्यम से ग्राहक के मोबाइल फोन पर दी जा सकती है या उपलब्ध कराई जा सकती है। इस दस्तावेज़ में मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का परस्पर उपयोग किया गया है।

"मोबाइल फोन" का अर्थ है अपेक्षित सामान, उपकरण संलग्न और अन्य सॉफ्टवेयर के साथ हैंडसेट जो सेलुलर सेवा उपभोक्ता के स्वामित्व/पास है।

"प्रयोक्ता या मैं" का अर्थ बैंक के ग्राहक से है जो बैंक द्वारा प्रदान की गई मोबाइल बैंकिंग सेवा का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है। "व्यक्तिगत जानकारी" मोबाइल बैंकिंग सेवा के संबंध में प्राप्त उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी को संदर्भित करता है। "सेल्युलर सेवा" जिसे इसके बाद "सीएसपी" के रूप में संदर्भित किया जाता है, जीएसएम / सीडीएमए / जीपीआरएस / एज सेवा प्रदाता (मोबाइल फोन के संचालन के लिए) / किसी भी एग्रीगेटर को संदर्भित करता है जिसने अपने ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक के साथ समझौता किया है।

• नियम और शर्तों की प्रयोज्यता:

ये नियम और शर्तें उपयोगकर्ता, बैंक और सेलुलर सेवा प्रदाता (इसके बाद सीएसपी के रूप में संदर्भित) के बीच एक अनुबंध बनाती हैं और उपयोगकर्ता के किसी भी खाते और/या संबंधित उत्पाद या बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा से संबंधित नियमों और शर्तों के अतिरिक्त होंगी और उनका अनादर नहीं करेंगी, या सीएसपी।

• वांछनीयता:

बैंक का कोई भी ग्राहक, जिसके पास बचत और या चालू और या सावधि जमा खाता है जो एकल या उत्तरजीवी आधार पर संचालित करने के लिए अधिकृत है और जो सीएसपी का वर्तमान ग्राहक भी है। उपयोगकर्ता को मोबाइल फोन तक पहुंच होनी चाहिए और मोबाइल फोन कैसे काम करता है इसका ज्ञान होना चाहिए। उपयोगकर्ता के पास हमेशा मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने के लिए आवश्यक है। अगली पीढ़ी के खातों के मामले में, बैंक ऑफ द माइनर के रिकॉर्ड के अनुसार केवल प्राकृतिक अभिभावक ही इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।

• पंजीकरण:

मैं सहमत हूँ कि मैं मोबाइल बैंकिंग सेवा का उपयोग करने का हकदार केवल तभी बनूंगा जब मेरा आवेदन क्रम में पाया जाता है और संबंधित विवरण बैंक और सीएसपी द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं। बैंक और सीएसपी बिना कोई कारण बताए मेरे आवेदन को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

- बैंक मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से उपयोगकर्ता को ऐसी सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा जो बैंक समय-समय पर तय करे। बैंक सेवाओं के प्रकार को तय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो उपयोगकर्ता की एक श्रेणी प्रत्येक खाते पर पेश की जा सकती है और श्रेणी से श्रेणी में भिन्न हो सकती है। बैंक अपने विवेकाधिकार पर मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं में परिवर्धन/विलोपन भी कर सकता है।
- बैंक के साथ खोले गए खाते और संबंधित उपयोगकर्ता आईडी से जुड़े खाते केवल मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से सुलभ होंगे।
- इस मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर के सभी संस्करणों का समर्थन करने के लिए बैंक पर कोई दायित्व नहीं होगा।
- मैं सहमत हूँ कि मैं बैंक की मोबाइल बैंकिंग सेवा का उपयोग करने के लिए केवल अपने मोबाइल फोन का उपयोग करूँगा। यह एक्सेस केवल बैंक फॉर मोबाइल बैंकिंग में पंजीकृत विशिष्ट मोबाइल फोन नंबर पर ही मेरे लिए प्रतिबंधित है। मुझे किसी अन्य व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं देनी चाहिए या मोबाइल फोन को लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। मैं किसी भी अनधिकृत माध्यम से बैंक के कंप्यूटर पर संग्रहीत खाता जानकारी तक पहुंचने का प्रयास करने का प्रयास या अनुमति नहीं दूँगा।
- मैं मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से मेरे द्वारा किए गए लेनदेन करने के लिए बैंक को स्पष्ट अधिकार प्रदान करता हूँ। मोबाइल फोन नंबर के सत्यापन के अलावा मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से मुझसे प्राप्त किसी भी लेनदेन की प्रामाणिकता को सत्यापित करने या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से मेरे द्वारा भेजे गए किसी भी लेनदेन की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए बैंक का कोई दायित्व नहीं होगा। मोबाइल बैंकिंग के परिचालन के समय मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया डिस्प्ले मोबाइल एक्सेस के परिचालन का एक रिकॉर्ड है और इसे बैंक के सापेक्ष लेनदेन के रिकॉर्ड के रूप में नहीं माना जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से या अन्यथा बनाए गए लेनदेन के बैंक के अपने रिकॉर्ड को सभी उद्देश्यों के लिए निर्णायक और बाध्यकारी के रूप में स्वीकार किया जाएगा जब तक कि मैं आवधिक विवरण की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर कोई विसंगति नहीं बताता हूँ। संयुक्त खाते में मोबाइल बैंकिंग के उपयोग से उत्पन्न होने वाले सभी लेनदेन सभी संयुक्त खाता धारकों के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग बाध्यकारी होंगे। मैं समझता हूँ कि बैंकों का मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म संचार के लिए सुरक्षित एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी लेनदेन एन्क्रिप्टेड और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बैंक प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में परिभाषित मेरी कुछ व्यक्तिगत जानकारी ले सकता है, जिसे एन्क्रिप्टेड रूप में प्रेषित किया जाएगा।
- बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप दो कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करता है। दो-कारक प्रमाणीकरण एक सुरक्षा तंत्र है जिसके लिए प्रमाणीकरण के लिए दो प्रकार के क्रेडेंशियल्स की आवश्यकता होती है और इसे सत्यापन की एक अतिरिक्त परत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, सुरक्षा उल्लंघनों को कम करता है। इसके अलावा, जब मैं ऐप डाउनलोड करता हूँ और इसे अपने डिवाइस पर पंजीकृत करता हूँ, तो मोबाइल नंबर प्रमाणीकरण के लिए एन्क्रिप्टेड रूप में संग्रहीत किया जाएगा। लॉगिन केवल एक डिवाइस और एकल मोबाइल नंबर पर होने की अनुमति होगी।
- बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप को किसी भी लेनदेन को करने के लिए लॉगिन पासवर्ड (एमपिन) और वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि क्लाइंट और वेब सर्वर (होस्ट) के बीच संचार एन्क्रिप्ट किए गए हैं। यह आपके लेनदेन का संचालन करने के लिए एक अत्यधिक सुरक्षित वातावरण है।
- मोबाइल बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक मेल या लिखित संचार जैसे किसी अन्य माध्यम से बैंक को मेरे द्वारा आपूर्ति की गई जानकारी की शुद्धता के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे द्वारा प्रदान की गई गलत जानकारी से उत्पन्न परिणामों के लिए न तो बैंक और न ही सीएसपी कोई दायित्व स्वीकार करते हैं। यदि मुझे संदेह है कि मेरे द्वारा बैंक को दी गई जानकारी में कोई त्रुटि है, तो मैं जल्द से जल्द बैंक को सूचित करूँगा। बैंक त्रुटि को तुरंत ठीक करने और त्रुटि से उत्पन्न होने वाले किसी भी ब्याज या शुल्क को समायोजित करने का प्रयास करेगा। स्टेटमेंट के सभी आउटपुट खाते के डुप्लिकेट स्टेटमेंट हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से तैयार किए जाएंगे और इसमें निहित जानकारी बैंक द्वारा बनाए गए कम्प्यूटरीकृत बैंक अप सिस्टम से निकाली जाएगी। हालांकि बैंक विवरण की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा, बैंक किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं है, जो इसके नियंत्रण से परे कारणों से हो सकता है जैसे ट्रांसमिशन में डेटा भ्रष्टाचार।

• उपयोगकर्ता का दायित्व:

मैं अपने खातों में होने वाले अनधिकृत लेनदेन से उत्पन्न होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होऊँगा यदि मैंने शर्तों का अनुपालन किया है और बैंक को पावती के तहत लिखित रूप में सूचित किया है जब मुझे संदेह है कि मेरा मोबाइल फोन नंबर किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित किया गया है और/या मेरे खाते में अनधिकृत लेनदेन की सूचना देता है, अधिकतम के बाद

बैंक द्वारा ऐसी सलाह प्राप्त करने के 2 दिन। मैं सहमत हूँ कि मोबाइल बैंकिंग तक पहुंच मेरे मोबाइल फोन के माध्यम से है और कोई भी

लेनदेन, जो उसी से शुरू होता है, चाहे मेरे द्वारा शुरू किया गया हो या नहीं, को मुझसे उत्पन्न माना जाएगा। मैं अपने खातों में अनधिकृत लेनदेन से होने वाली सभी हानियों के लिए उत्तरदायी होऊंगा यदि मैंने शर्तों का उल्लंघन किया है या योगदान दिया है या निम्नलिखित जैसे लापरवाही कार्यों से नुकसान का कारण बना है:

मोबाइल बैंकिंग खातों में अनधिकृत पहुंच या गलत लेनदेन के बारे में उचित समय के भीतर बैंक को सूचित नहीं करना।

- मोबाइल फोन नंबर/सिम कार्ड में परिवर्तन या समाप्ति के मामले में, सीएसपी और बैंक को परिवर्तन/समाप्ति के बारे में सूचित नहीं करना।
- मैं समझता हूँ कि मेरे मोबाइल फोन के खो जाने या गलत हाथों में पड़ने की स्थिति में, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
- मैं बैंक को इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी ऐसे दुरुपयोग के लिए क्षतिपूर्ति करता हूँ। इन परिस्थितियों में मुझे होने वाली किसी भी हानि के लिए मैं बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा।

• बैंक की देयता:

प्राकृतिक आपदा, बाढ़, आग और अन्य प्राकृतिक आपदाओं, कानूनी बाधाओं, दूरसंचार नेटवर्क में खराबी या नेटवर्क की विफलता, एसएमएस/व्हाट्सएप का न होना, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर त्रुटि या बैंक के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से वांछित तरीके से पहुंच उपलब्ध नहीं होने पर बैंक किसी भी परिस्थिति में मेरे लिए उत्तरदायी नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में बैंक किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वह प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, परिणामी हो और इस बात पर ध्यान दिए बिना कि कोई दावा राजस्व, निवेश, उत्पादन, साख, लाभ, व्यवसाय में रुकावट या किसी भी चरित्र या प्रकृति के किसी अन्य नुकसान पर आधारित है और चाहे उपयोगकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाए रखा गया हो। मोबाइल फोन के संबंध में सीएसपी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए बैंक किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। मोबाइल बैंकिंग लेनदेनों के संबंध में सीएसपी द्वारा लगाए गए प्रभारों के लिए बैंक किसी भी तरह से जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा।

• CSP का दायित्व:

एसएमएस (लघु संदेश सेवा) प्रौद्योगिकी और डब्ल्यूएपी (वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल) प्रौद्योगिकी की सीमाओं के कारण, सीएसपी और बैंक मोबाइल बैंकिंग सेवा के माध्यम से प्रेषित संदेशों की गोपनीयता या सुरक्षा की गारंटी नहीं देते हैं, चाहे वे व्यक्तिगत हों या अन्यथा। सीएसपी सिस्टम और नेटवर्क या उनके कार्य या प्रदर्शन के संबंध में या किसी भी नुकसान या क्षति के लिए किसी भी प्रकार की कोई वारंटी या प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जब भी और हालांकि उपयोगकर्ता या किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल बैंकिंग सेवा या सीएसपी नेटवर्क के परिणामस्वरूप या उसके संबंध में पीड़ित या वहन किया जाता है। इस समझौते के अन्य प्रावधानों की सीमा के बिना, सीएसपी, उसके कर्मचारी, एजेंट या ठेकेदार, किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, चाहे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परिणामी, जिसमें राजस्व, लाभ, व्यवसाय, अनुबंध, प्रत्याशित बचत या ख्याति, सॉफ्टवेयर सहित किसी भी उपकरण के उपयोग या मूल्य की हानि शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, चाहे वह दूरदर्शी हो या नहीं, उपयोगकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पीड़ित किया गया है, चाहे वह अनुरोध प्राप्त करने और संसाधित करने और प्रतिक्रिया तैयार करने और वापस करने में बैंक और मोबाइल बैंकिंग सेवा की त्रुटि के किसी भी देरी, रुकावट, निलंबन, समाधान से उत्पन्न या उससे संबंधित हो या उपयोगकर्ता और सीएसपी नेटवर्क और बैंक की प्रणाली के दूरसंचार उपकरण से किसी भी जानकारी या संदेश के प्रसारण में कोई विफलता, देरी, रुकावट, निलंबन, प्रतिबंध या त्रुटि या उपयोगकर्ता के दूरसंचार उपकरण, बैंक की प्रणाली या सीएसपी नेटवर्क के किसी भी ब्रेकडाउन, रुकावट, निलंबन या विफलता। इसके विपरीत होने के बावजूद, सीएसपी बैंक और उपयोगकर्ता के बीच किसी भी विवाद के लिए उपयोगकर्ता के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

• क्षतिपूर्ति:

मैं बैंक, उसके ग्राहकों या किसी तीसरे पक्ष या किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए किसी भी दावे या कार्रवाई के लिए बैंक और सीएसपी को हानिरहित मानकर क्षतिपूर्ति करूंगा और हानिरहित रखूंगा जो किसी भी तरह से मेरे द्वारा किए गए मोबाइल बैंकिंग लेनदेन का परिणाम

हैं। मैं सहमत हूँ कि मोबाइल बैंकिंग सेवा सीएसपी द्वारा प्रदान किए गए नेटवर्क का उपयोग करती है। मैं इस नेटवर्क में विफलता के कारण मुझे होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक को हानिरहित मानता हूँ।

• व्यक्तिगत जानकारी का प्रकटीकरण:

मैं सहमत हूँ कि बैंक या उसके एजेंट/ठेकेदार मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ सांख्यिकीय विश्लेषण और क्रेडिट स्कोरिंग के संबंध में मेरी व्यक्तिगत जानकारी को कंप्यूटर पर या अन्यथा रख सकते हैं और संसाधित कर सकते हैं।

• मोबाइल बैंकिंग सेवा की समाप्ति:

मैं बैंक को नोटिस दिए जाने के समय से बैंक को कम से कम 15 दिनों की लिखित सूचना देकर किसी भी समय मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को समाप्त करने का अनुरोध कर सकता हूँ। मैं सहमत हूँ कि मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से मेरे मोबाइल बैंकिंग खाते(खातों) पर किए गए किसी भी लेन-देन के लिए मैं अपनी मोबाइल बैंकिंग सेवा की समाप्ति तक जिम्मेदार रहूँगा।

एक. बैंक किसी भी समय मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को वापस ले सकता है और ऐसी निकासी के बारे में मुझे 30 दिन का नोटिस देने का प्रयास करेगा। मेरे सभी खातों को बंद करने से मोबाइल बैंकिंग सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार, बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को निलंबित या समाप्त कर सकता है यदि मैं उपर्युक्त नियमों और शर्तों का उल्लंघन करूँगा या यदि बैंक को मेरे खाते या कस्ट आईडी से संबंधित कुछ त्रुटियाँ / चूक/धोखाधड़ी या संदिग्ध लेनदेन दिखाई देते हैं।

दो. नोटिस: बैंक नियम और शर्तों के तहत, इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेरे मेलबॉक्स (जिसे लिखित रूप में माना जाएगा), या एसएमएस/व्हाट्सएप या लिखित रूप में हाथ से डिलीवरी करके, या उन्हें मेरे द्वारा दिए गए अंतिम पते पर डाक द्वारा और कंपनी के मामले में अपने पंजीकृत कार्यालय को भेजकर नोटिस दे सकता है। इसके अतिरिक्त, बैंक अपनी वेबसाइट पर सामान्य प्रकृति की सूचनाएं भी प्रकाशित कर सकता है, जो मोबाइल बैंकिंग के सभी प्रयोक्ताओं पर लागू होती हैं। इस तरह के नोटिस का वही प्रभाव होगा जो मुझे व्यक्तिगत रूप से दिए गए नोटिस का होगा।

सत्रह. कुछ राशियों का नकद भुगतान ।

- 194एन। हर व्यक्ति, प्राणी, -

- (१) एक बैंकिंग कंपनी जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित)।
- (२) ऐसी सहकारी समिति जो बैंकिंग का व्यवसाय कर रही हो या
- (३) एक डाकघर, जो किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, या, जैसा भी मामला हो, पिछले वर्ष के दौरान एक करोड़ रुपये से अधिक नकद में, किसी भी व्यक्ति (यहां प्राप्तकर्ता के रूप में संदर्भित) को प्राप्तकर्ता द्वारा बनाए गए एक या अधिक खातों से इस तरह की राशि के भुगतान के समय, दो प्रतिशत के बराबर राशि काट लेता है। (क) क्या यह सच है कि आयकर के रूप में एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि का निवेश किया गया है;

बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी किए गए किसी भी भुगतान पर लागू नहीं होगा, -

- (१) सरकार।
- (२) कोई भी बैंकिंग कंपनी या सहकारी समिति जो बैंकिंग या डाकघर के व्यवसाय को चलाने में लगी हुई है।
- (३) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय करने में संलग्न किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी समिति का कोई व्यवसाय प्रतिनिधि।
- (४) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकरण के अनुसार, बैंकिंग व्यवसाय करने में लगी बैंकिंग कंपनी या सहकारी समिति का कोई भी व्हाइट लेबल स्वचालित टेलर मशीन ऑपरेटर।
- (५) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से

निर्दिष्ट कर सकती है।